छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020

(फाल्गुन 12, शक सम्वत् 1941)

[अंक 06]

Website copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020

(फाल्गुन 12 शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला जांजगीर-चांपा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। श्री केशव प्रसाद चन्द्रा।

1. (*क्र. 501) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु कुल कितने किसानों का पंजीयन पर्ची के आधार पर किया गया है ? तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित किसानों में से कितने किसानों के रकबे को काटा गया है ? (ग) वर्तमान में कितने किसानों का रकबा पंजीयन में संशोधन किया गया है ? बाकी किसानों का रकबा संशोधन कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 173205 किसानों का पंजीयन पर्ची के आधार पर किया गया है जिसमें से 26969 नवीन पंजीयन है. तहसीलवार जानकारी प्रपत्र "अ" में †[1] संलग्न है. (ख) धान खरीदी हेतु पंजीकृत रकबा-खसरा एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार वास्तविक रकबा में अंतर होने के कारण 20254 किसानों का रकबा संशोधन राजस्व रिकार्ड अनुसार किया गया है. जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. (ग) दिनांक 20.02.2020 तक कुल 558 किसानों का रकबा पंजीयन में संशोधन किया गया. जिसमें से पात्रतानुसार 554 किसानों का रकबा संशोधन (वृद्धि) किया गया. 2 किसानों का रकबा ग्राम में उपलब्ध नहीं होने के कारण, 1 किसान के नाम पर भूमि नहीं होने के कारण एवं 1 किसान का खाता सोसाइटी द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण रकबा संशोधन नहीं किया जा सका.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न किसानों का जो पंजीयन काटा गया है, उस पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान खरीदी हेतु यह जो पंजीयन होता है, वह राजस्व विभाग के सत्यापन के बाद होता है या सीधे-सीधे होता है ? अगर सत्यापन के बाद

[1]† परिशिष्ट- "एक"

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

पंजीयन होता है तो आपने सत्यापन करके दिया, फिर पंजीयन हुआ तो 3 हजार 23 हैक्टेयर भूमि जांजगीर-चाम्पा जिले के पंजीयन में क्या काटा गया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सत्यापन हुआ है, उसमें कोई भी रकबा नहीं काटा गया है। यह बिलकुल गलत है कि कोई भी रकबा काटा गया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के जवाब मे है। 20,254 किसानों का 3,023.46 हैक्टेयर रकबा पंजीयन के बाद काटा गया है। यह किन कारणों से काटा गया है ? अगर काटा गया है तो रकबा काटने के क्या कारण हैं और इसके लिए दोषी कौन हैं ? सरकार के ही उत्तर में है कि 554 किसानों का पंजीयन काटाने के बाद पुन: जोड़ा गया है और माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि किसी का रकबा नहीं काटा गया है। यह तो आपके उत्तर में ही है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 20,254 पंजीकृत किसानों के पंजीयन रकबा का भूईयां डेटा बेस एवं राजस्व विभाग में दर्ज रकबें से अंतर पाया गया, जिनका सत्यापन पश्चात धान का पंजीकृत रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुरूप किया गया है। आपने जो 558 किसानों की बात की है, 558 किसानों के जो आवेदन आये, उसमें जांच किया गया। उस जांच के मुताबिक संशोधन किया गया, जिसमें 554 किसानों का संशोधन वृद्धि किया गया। 2 किसानों का रकबा ग्राम में उपलब्ध नहीं होने के कारण, 1 किसान के नाम पर भूमि नहीं होने और 1 किसान का खाता सोसायटी द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण रकबा संशोधन नहीं किया गया है। 558 किसानों के आवेदन में 64 प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी सम्मिलित है, जो हेल्प लाईन नंबर से किया गया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि अगर पंजीयन हुआ तो क्या राजस्व विभाग के सत्यापन के बाद हुआ ? मेरी जानकारी में पटवारी जब सत्यापित करके देता है कि किसान का इतना रकबा है, उसके बाद पंजीयन होता है। सत्यापन के बाद 20,254 किसानों का रकबा 3,023 हैक्टेयर क्यों काटा गया है ? आप जो 558 किसान की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने पुन: आवेदन किया कि आपने हमारे रकबें को काटा दिया ? बाकी 20,254 किसानों को पता ही नहीं चला कि उनका रकबा कटा है। जिस दिन वे धान बेचने गये उसी दिन उनको पता चला कि हमारा रकबा काटा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर सत्यापन के बाद पंजीयन हुआ तो आपने रकबा क्यों काटा ? अगर रकबा काटा तो इसके लिए दोषी कौन है ? अगर आप रकबा काट दिए तो 554 किसानों का रकबा क्यों जोड़ा ?

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में काटा गया है। आप इसको स्वीकार करिये न। आपने सब जगह काटा , मेड़ का काटा, भर्रा-भर्री का काटा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्षों के पंजीकृत किसानों का पुन: पंजीयन नहीं कराया गया। नये किसान सीधा पंजीयन कराते हैं। पंजीयन के लिए पहले सत्यापन नहीं होता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक पटवारी लिखकर नहीं देगा, तब तक बिना सत्यापन के कोई पंजीयन ही नहीं होता और आप हर साल पुराने पंजीयन का भी सत्यापन करते हैं, पटवारी पुन: रिकार्ड देता है क्योंकि रकबा कम ज्यादा होता है । किसी किसान के बेचने से रकबा कम होता है, बंटवारा होने से रकबा कम होता है, फौती कटने से रकबा कम होता है तो हर साल पटवारी प्रतिवेदन देता है, उसके आधार पर पंजीयन पर सुधार होता है । सरकार का यह षड़यंत्र है कि किसान धान मत बेच पाए, इसलिए केवल जांजगीर-चांपा जिले में 3 हजार से अधिक एकड़ का रकबा काटा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान जबरदस्ती धान नहीं बेच पाए, इसलिए रकबा काटा गया है । ऐसे दोषी अधिकारी के ऊपर आप कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने किसानों का अहित किया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि 20,254 किसान हैं, जिनका पंजीयन किया गया । केवल धान के फसलों के रकबे का ही पंजीयन किया गया है और इसमें किसी प्रकार से रकबा काटा नहीं गया, सत्यापन किया गया । साथ ही मैंने बताया कि जो 558 लोगों के आवेदन आए या विभिन्न माध्यमों से, हेल्प लाईन नम्बर से उन्होंने जो जानकारी दी, उसके आधार पर जांच की गयी और इसमें 554 किसानों के रकबे की वृद्धि की गई है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 558 किसानों का आवेदन आया, उसमें 554 किसानों का आवेदन सही पाया गया और 554 किसानों का रकबा जोड़ा गया, बाकी 20254 किसान को पता ही नहीं था, उन्होंने आवेदन नहीं किया । प्रशासन का ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि इनको सूचना दें कि आपका रकबा काट दिया गया है । मान लीजिए कि 554 किसानों का रकबा सही पाया गया, उसको आपने जोड़ दिया और जिनका सही था तो उनका रकबा क्यों काटा गया, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसका पंजीयन किया गया है, सत्यापन किया गया है तो उसके बाद अगर आप 20 हजार किसानों की बात कर रहे हैं, उसमें बकायदा उसमें हैल्प लाईन नम्बर भी दिया गया था और अगर कोई भी आवेदनकर्ता उसमें आवेदन करते या जानकारी देते तो फिर से जांच होती और 558 किसानों का आवेदन आया, उसमें मैंने आपको जानकारी दे दी है कि 554 किसानों का डिफरेंस पाया गया, उनको जोड़ा गया है और मैंने 4 किसानों का अलग से बताया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 554 किसानों का रबका जोड़ा गया, उनका सही तो था न ? अगर किसी अधिकारी ने रकबा काटा तो उन्होंने गलत काम किया, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? 554 किसानों का रकबा काटा गया है, उन्होंने आवेदन दिया, आपने सही पाया,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उनका जोड़ दिया । हम 20 हजार किसानों की बात नहीं करते, 554 किसानों की बात करते हैं । तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने किसानों को परेशान करने के लिए तहसील में आवेदन दिए, कलेक्टर से सत्यापन होकर संचालनालय आया और यहां से उनका रकबा जुड़ा हुआ है । किसानों को दो-दो महीना घूमना पड़ा, किसानों का रकबा जुड़वाने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से दो बार मंत्रालय आना पड़ा । तो किसानों को जबरदस्ती परेशान करने के लिए अगर रकबा काटा गया है, ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दोष किस चीज का है ? अगर पंजीयन में कोई छूटा है, उसके आवेदन लिए गए या हैल्प लाईन नम्बर से उसकी जानकारी ली गई, उसके बाद उनका रकबा जोड़ा गया है । आप 20,254 किसानों की बात कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई भी किसान आवेदन करता या जानकारी देता तो उसके बारे में भी एक बार फिर से जांच की जा सकती थी । उसको रोका नहीं गया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन से नहीं छूटे थे, उनका आलरेडी पंजीयन हुआ था, उसके बाद काट दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं कि उसका परीक्षण करा लेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश सहित जांजगीर-चांपा जिला, वास्तव में जांजगीर-चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है । सबसे ज्यादा रकबा वही हैं । यह रकबा जो काटा गया है, क्या सरकार के निर्देश पर काटा गया है या वहां के स्थानीय अधिकारियों ने अपने मन से काटा है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बता रहा हूं। इसमें 20254 किसानों के पंजीयन का सत्यापन संशोधन राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया गया है, किसी का रकबा काटा नहीं गया है । मैंने बताया कि पहले तो इसका पंजीयन नहीं हुआ है । अगर पहले इस प्रकार से पंजीयन हुआ होता, पहले जांच की गई होती, पिछले सालों में जांच नहीं हुआ है । हमने इसकी जांच कराई और माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि 20254 किसानों का रकबा काटा गया है तो काटा भी गया है । अगर सत्यापन के समय कोई भी आपत्तिकर्ता आवेदन देता, किसी भी माध्यम से या हैल्प लाईन नम्बर के माध्यम से उसकी सूचना देता, जिस प्रकार से 558 किसानों का आवेदन आया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रकबा काटा नहीं गया तो फिर कम कैसे हुआ और रकबा कम करने का आधार क्या है ? सुनियोजित ढंग से यह काम हुआ है कि हमको कम धान खरीदी करना पड़े, इसलिए किसानों का रकबा कम किया गया है और प्रदेश के हर जिले में रकबा कम किया गया है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस चीज को स्वीकार किया है कि 22 हजार किसान थे, जिसका रकबा कटा, उसमें से 550 किसानों का रकबा जुड़ गया, बाकी किसान

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छूट गये, 21,500 किसान छूट गये, 21,500 किसानों को यह पता ही नहीं था कि हमारा रकबा कट गया । जब वह धान बेचने के लिए उन लोग वहां पर गये तो उनको पता चला कि उनका रकबा कट गया, फिर हाहाकार मचा । इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? 22 हजार का रकबा क्यों काट दिया गया ? उसके पीछे मूलभूत आधार होगा कि क्यों रकबा काटा गया ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन उपरान्त ही सत्यापन कराते हैं । इस वर्ष शतप्रतिशत गिरदावली किया गया । गिरदावली के समय पाये जाने पर क्षेत्रान्तर्गत सत्यापन किया गया । विरोधाभाष होने पर पुन: भौतिक सत्यापन किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- गिरदावली के समय क्या किसानों को ...(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावली पर जो पाया गया उसके आधार पर काट दिया गया । 554 का गलत क्यों काटे ? 554 का गिरदावली पर अगर नहीं पाया गया है, पुन: जोड़े तो 554 के काटने वालों के ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? आवेदन दिये तो 554 को आपने पुन: जोड़ा । आपका गिरदावली गलत हुआ । आपके अधिकारी कहीं पर भी मौके पर नहीं गये । कार्यालय में बैठकर सरकार के निर्देश पर उन्होंने 20 हजार किसानों का रकबा काटा है । 554 जो गलत ढंग से काटे हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के दिनों में कहीं भूमि का सीमांकन नहीं होता है। सत्यापन करने भी जाते हैं तो खाली नजरी सत्यापन होता है । नजरी सत्यापन में कैसे 20 हजार किसानों का जमीन काटने का आपने निर्णय कर लिया, आप यह बता दो ? नजरी सत्यापन होता है तो उस पीरियड में सीमांकन तो होता नहीं है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप इस बात को सही बोल रहे है कि नजरी सत्यापन होता है । आप सत्यापन का और आधार बता दीजिए ? जब नजरी सत्यापन होता है तो उसमें सत्यापन किया गया । जो सही पाया गया है उसके मुताबिक बताया गया है कि जो 558 लोगों का ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, नजरी सत्यापन हुआ, किसी किसान का 50 डिसमिल काट दिया गया, किसी किसान का 1 एकड़ काट दिया गया, काटने के पीछे आधार तो कुछ होगा ? आप यह बता दीजिए कि क्या शासन के स्तर पर मौखिक आदेश जारी किये गये थे कि पूरे प्रदेश में किसानों का रकबा कम करना है ? ऐसे मौखिकआदेश हुये थे कि नहीं आप बता दो ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपको जानकारी होगा, मुझे जानकारी नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसानों का रकबा कम किया गया है । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी कार्यवाही की घोषणा कर दें । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । मंत्री जी जो बोल रहे हैं, सत्यापन किया गया, रकबा काटा नहीं गया...।

श्री शिवरतन शर्मा :- किस आधार पर सत्यापन किया गया ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा प्रश्न आज इसी में लगा है । पूरे प्रदेश में ...।

अध्यक्ष महोदय :- कौन से नंबर में लगा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उस प्रश्न में नहीं जा रहा हूँ । लगा है मैं आपको बता रहा हूँ । उसमें आया है । पूरे प्रदेश में 54 हजार हेक्टेयर रकबा कम किया है कि धान खरीदना न पड़े । छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार किसानों से सहमति पत्र इनके द्वारा जबरदस्ती कराया गया । उसमें लगभग 5 लाख 35 हजार किसानों से 84 हजार हेक्टेयर का उसमें सहमति पत्र भरवाकर उसका रकबा कम किया गया और धान को नहीं खरीदा गया । इस सरकार को सीधा-सीधा बोलना चाहिये,मंत्री जी को जवाब देना चाहिये, हम तो आपको दमदार मंत्री समझते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बता तो रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको सीना ठोंककर बोलना चाहिये कि हां हमने कटवाया है । आपसे हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप किसानों के शुभचिंतक हैं, आपके रिकार्ड में है कि आपने रकबा कटवाया है, कम किया है । आपको स्वीकार करना चाहिये और स्वीकार करके बोलना चाहिये कि हां हमने रकबा कटवाया है, आपने कम किया है । यदि आप बोल रहे हैं कि रकबा नहीं कटवाये हैं, उसकी जांच करवायेंगे क्या ? यदि रकबा कटा पाया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय नेता जी, गिरदावली में खसरा नंबर में फसल का रकबा अंकिता रहता है । धान के रकबा का सत्यापन किय गया है । इसमें सिर्फ धान के रकबा का सत्यापन हुआ है । अत: सर्वे नजरी नहीं वास्तविक है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही तो कहना है, सत्यापन आपने किया, काट दिया । 554 किसानों का....।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने लाखों लोगों का रकबा कटवा दिया...।

अध्यक्ष महोदय :- पूरक प्रश्न को आप इतना लंबा मत खींचिए ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गिरदावली किया, काट दिया । 558 किसानों ने पुन: आवेदन दिया, आपने 554 का जोड़ दिया । मननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में बता दूं कि ऐसे किसान है, 18 एकड़ है, उनका 17 एकड़ काट दिया गया । 10 एकड़ है, उनका 9 एकड़ काट दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, मैंने कह दिया है कि उसका पुन: परीक्षण करा लें । उसके बाद कार्यवाही करेंगे तो काहे को परेशान हो रहे हो ?

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दें कि कितने दिन के अंदर परीक्षण कर लेंगे और कितने दिन के अंदर जवाब दे देंगे? अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा निर्धारित कर दें।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी के लिए संरक्षण चाहता हूं, वह खेती नहीं करते हैं व्यापार करते हैं और खेती के बारे में इतना क्स्टि पूछेंगे कि कौन से खसरा में, कौन से कॉलम में क्या होता है तो यह ज्यादती हो ही है। इसको समाप्त करिये, दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोगी जी, मेरे परिवार के लोग शुद्ध रूप से किसान रहे हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि मैं शुरू से स्कूल के समय से राजनीति में हूं उसके बाद भी मेरी किसानी की जमीन है । ऐसा नहीं है कि नही है और किसानी के बारे में मैं सब कुछ समझता भी हूं और जानता भी हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :-आपकी किसानी की जमीन है, आपका रकबा कितना कम हुआ है ये भी आप बता दो?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां सेवा कर रहा हूं, किसानी नहीं कर पा रहा हूं इसलिए। दूसरी चीज की 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं जो कि आज तक छत्तीसगढ़ के 20 साल में कभी नहीं खरीदा गया तो कम से कम आप लोगों को उस बात का स्वागत करना चाहिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जांजगीर चांपा में 13 हजार क्विंटल और बचा है।

अध्यक्ष महोदय:- चन्द्रा जी, आपके प्रश्न में मैंने 15 मिनट का समय दिया, देख लीजिए।

<u>तहसील गीदम अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि का अधिग्रहण</u>

2. (*क्र. 429) श्री देवेन्द्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दंतेवाड़ा जिले की गीदम तहसील अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि को अधिग्रहित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो क्या यह अधिग्रहण नियम सम्मत किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दंतेवाड़ा जिले के गीदम तहसील गीदम अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है. (ख) निरंक.

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि को निरस्त किया गया है क्या और यदि निरस्त किया गया है तो वह किस प्रयोजन के लिए निरस्त किया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- आपने वन अधिकार पट्टाधारियों के भूमि अधिग्रहण की बात की है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच प्रतिवेदन के आधार पर 12 लोगों के 10.30 हेक्टेयर भूमि के वन अधिकार पट्टे निरस्त किए गए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रयोजन के लिए, किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट के लिए भूमि पट्टा के निरस्तीकरण का कार्य किया गया है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एजुकेशन सिटी हब के निर्माण के लिए यह निरस्त हुआ है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रयोजन हेतु किस-किस भूमि को लिया गया है और जिन भूमियों को लिया गया है उन भूमियों का अधिग्रहण या निरस्तीकरण या कुछ अन्य इससे जुड़ा हुआ नियमानुसार किया गया है क्या?

अध्यक्ष महोदय:- भाई, भिलाई से दंतेवाड़ा की दूरी बहुत ज्यादा है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय:- तो आप पूछ लीजिए ना।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न आपके माध्यम से पूछा है उस क्षेत्र के लगभग 10 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। जो निरस्त किया गया तो उनको कोई मुआवजा दिया गया या उनको अन्य जगह कोई जमीन दी गई क्या?

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से इस विषय की जानकारी दे देता हूं। उक्त विषय में बड़ेपनेड़ा गांव के 10 आदिवासियों की जमीन को पहले निरस्त किया गया और निरस्त करके उसके बदले उन्हें जो दूसरी जगह जमीन दी जानी चाहिए थी वह भी नहीं दी गई, और इसके अलावा उक्त ग्राम की सुश्री पाली पिता सन्नू उनकी कुल 1.45 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई जिसका उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया और जब उक्त प्रार्थी उच्च न्यायालय गई और वहां से जब निर्देशित किया गया तब उसको जो मुआवजा देना था वह दिया गया और उसे जो 34 लाख 25 हजार का मुआवजा दिया गया वह भी डी.एम.एफ. के मद से दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार आज के समय जो आदिवासी हैं उन्हें पट्टे देने का काम कर रही है, उनको अधिकार देने का काम कर रही है तो उक्त प्रकरण जिसमें उनके साथ, आदिवासियों की जमीन छीनी गयी, नियम का उल्लंघन किया गया, साथ ही साथ इसमें जो बड़े छोटे झाड़ जंगल होते हैं, उसकी भी 17 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित किया गया। तो यह जो उक्त प्रकरण है, इसके बारे में राज्यपाल जी के पास भी शिकायत किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उक्त प्रकरण की संपूर्ण जांच करायेंगे। क्या जांच के लिये विधानसभा की कोई समिति का गठन करेंगे ? और उस समय कौन ऐसा अधिकारी था जिसने यह कार्य किया है ? क्या उसका नाम सदन के सामने रखेंगे ?

श्री अजीत जोगी :- बहुत अच्छा, साबास।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इसमें बताया कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर 12 लोगों के 10.30 हेक्टेयर भूमि का वन अधिकार पट्टा निरस्त किया गया। इसमें जो पट्टे निरस्त किये गये, उसमें जांच प्रतिवेदन के अनुसार चार लोगों को 34 लाख 25 हजार रूपये डी.एम.एफ. फंड से दिया गया है। कुछ लोगों के पट्टें में खसरा नंबर बदल दिये गये। प्रकरण में भू अर्जन के तहत मुआवजा वितरण नहीं किया गया है। आपने जो छोटे झाड़ बड़े झाड़ कहा। जांच रिपोर्ट के अनुसार छोटे बड़े झाड़ मद की भूमि की 17.04 हेक्टेयर भूमि एजुकेशन सीटी हब के लिये निर्माण में लिया गया है और इसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मुझे ये बता दीजिए, भू अर्जन के लिये क्या आप डी.एम.एफ. का पैसा खर्च कर सकते हैं ? क्या भू अर्जन के लिये डी.एम.एफ. के पैसे का उपयोग कर सकते हैं, यह बता दीजिए ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मेरी जानकारी के मुताबिक तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें 34 लाख रूपये हुआ है। यह पहले का मामला है और इसमें 34 लाख 25 हजार रूपये डी.एम.एफ. फंड से दिया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार नियम विरूद्ध काम हुए हैं। 12 में भी चार लोगों को डी.एम.एफ. से दिया। आपने नियम विरूद्ध दिया है। बाकी जो 8 लोग बचे हैं। जिनका आपने 12 में निरस्त किया है। जो 8 लोग बचे हैं, क्या उनको अन्य जगह जमीन दी गयी है ? सबसे बड़ी बात नियम विरूद्ध की है, माननीय अध्यक्ष जी ने जो प्रश्न किया है। आपने डी.एम.एफ. से पैसा जारी किया है। उसके लिये कौन दोषी हैं ? क्या आप दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे ? जो 8 लोग बचे हैं, क्या उनको जमीन या मुआवजा देंगे ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय पर सम्मानित मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि किसके संरक्षण में, किस अधिकारी के संरक्षण में उक्त प्रकरण को किया गया। मैं आपके माध्यम से उसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। साथ ही साथ मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर...।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको रहने दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी हाल में जो 12 लोगों का किया गया। न उनको मुआवजा दिया गया है, इसलिए आपके माध्यम से, आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी जवाब दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 03, श्री धरमलाल कौशिक।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। आदिवासियों का मामला है, ऐसी झूठ बोल बोलकर किया है। सही चीज को एकत्रित नहीं किये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका क्या प्रश्न है, पढ़कर एकत्रित करिये।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। इसलिए कि हमेशा आदिवासियों के साथ ऐसा होता है। कहीं से भी बेदखली करो, कहीं से भी कुछ दे दो, कहीं से कुछ करो। यह बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मंत्री जी जवाब दें और माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- हर जगह थोड़ी है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें विधानसभा स्तरीय कमेटी माननीय मंत्री जी बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। यह बहुत गंभीर मामला है, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं। अगर यह मामला गंभीर है तो उसकी जांच करायेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- जांच चल रही है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह मामला 2012 का है। वर्ष 2017 में जाकर उक्त...। (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, (व्यवधान) पट्टे निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रावधान है।

श्री अजीत जोगी :- मैं आपसे कहूंगा कि मुझे, वह...।

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्य सरकार को अधिकार है।

श्री अजीत जोगी :- नहीं, अर्जन कर सकते हैं। पर पट्टा देने के बाद उसको निरस्त करने का अधिकार किस सेक्शन में है, यह बताने की कृपा करें ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने जांच कराने के लिये बोल दिया है। मंत्री जी, जांच कराकर बता देंगे। श्री धरमलाल जी कौशिक।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- इस विषय पर विधानसभा से कमेटी बनाना अति आवश्यक है और उक्त अधिकारी ने जो भ्रष्टाचार किया है, (व्यवधान) उसको उक्त दिशा निर्देश आज के समय में विपक्ष द्वारा मिल रहा है। मेरा निवेदन है, उक्त मामले में आपके संरक्षण की आवश्यकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, जांच करा लीजिए और बाद में बता दीजिएगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच प्रक्रियाधीन है, उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जो जांच पहले शुरू हुई है, अगर उस पर ऐसा लगता है..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवांगा के जैसे एजुकेशन सेंटर बना है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर बात हो रही है। उस स्थान पर छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है वह जवांगा जैसा एजुकेशन सेंटर बना है। एक एजुकेशन हब बनकर तैयार हुआ है और राज्य शासन को यह अधिकार है कि अगर वह कोई पट्टा देती है तो उस पट्टे को निरस्त भी कर सकती है और वह पट्टा दूसरे को दे सकता है। केवल राजनीति करने के लिए यह प्रश्न किया जा रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि दूसरी जगह जमीन दें। हम तो यही मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-03 श्री धरमलाल कौशिक जी। आप लोग बैठिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उनकी बात करते हैं जो नियम-कानून और कायदे की बात करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि अन्य जगह जमीन दीजिए, हम तो यही मांग कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- लेकिन यहां पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए कहीं न कहीं एजुकेशन हब बना लिया जा रहा है (व्यवधान) हम तो यह जानना चाह रहे हैं कि (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप बता क्यों नहीं देते हैं? आप बता दीजिए।(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- किसमें ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन हब के नाम से करोड़ों रूपयों का बंदरबांट हो गया। एजुकेशन हब के नाम से, जवांगा के नाम से शासन ने पैसे का दुरूपयोग किया, आप पहले इसके बारे में बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि जिन आदिवासियों की जमीन छिनी गई, उनको उनका अधिकार मिले।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो तथ्य सामने आये हैं जैसे डी.एम.एफ. फण्ड या छोटे झाड़, बड़े झाड़ तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप कहिए कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा देंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अब जांच हो रही है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. मद का पैसा खर्च किया, वह अधिकारी कौन था? उसका नाम बतायें ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप अधिकारी का नाम पूछ रहे हैं तो नाम छोड़िए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में बहुत सारे पूरक प्रश्न हो गये। हो गया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उच्च स्तरीय कमेटी पूरी कार्यवाही करके देगी।

<u>विद्या मितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में रखे जाने संबंधी</u>

3. (*क्र. 940) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में विद्या-मितानों को भी अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया है ? यदि हां, तो कुल कितने विद्या-मितानों को अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार विद्या मितानों को नियमित किये जाने की क्या योजना है? व इन्हें कब तक नियमित किया जावेगा ? (ग) क्या सितंबर व अक्टूबर, 2019 के मध्य विद्या-मितान शिक्षा संघ व अन्य आवेदकों द्वारा अपर कलेक्टर/कलेक्टर, शिक्षा सचिव व संचालक लोक शिक्षण को अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में विद्यामितान के स्थान पर अन्य आवेदकों को रखने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब शिकायत की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) विद्या मितानों को नियमित किये जाने की कोई योजना नहीं है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. जानकारी प्रपत्र "ब" पर [2]† संलग्न है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में ऐसे जो विद्या मितान जो वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों, कुछ लोगों को निकाला गया है और उनको रखने के संदर्भ में भी शासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विद्या मितान जो कार्य कर रहे थे, ऐसे रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के रूप में उनको प्राथमिकता के आधार पर रखने का आदेश जारी किया गया, उसकी क्या-क्या शर्तें हैं ? और क्या जारी हुआ है ? कैसे रखेंगे ? माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं उसके अनुसार अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु जो मापदण्ड तय किये गये हैं तो यह व्यवस्था शाला प्रबंध समिति, शाला विकास समिति के द्वारा की जायेगी और रिक्त पदों पर विज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। संबंधित विषयों की द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि और बी.एड. ये होना चाहिए। उसके पश्चात् अतिथि शिक्षकों के चयन में जो प्राथमिकता होगी, वह राजस्व जिला के जो आवेदक होंगे, उनको होगी और अगर जिले में उपयुक्त उम्मीद्वार न उपलब्ध हों तो दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग को दी जायेगी और अगर वहां भी नहीं मिलते हैं तो उसमें संभाग के बाहर के लोगों को लेने की छूट रहेगी। विद्या मितान न उपलब्ध होने पर अन्य आवेदकों को भी उसमें स्नातकोत्तर और जो प्राप्त अंक मेरिट के आधार पर होगा, उसका चयन किया जायेगा और अगर सामान्य अंक मिलते हैं तो अधिक उम्र के जो आवेदक होंगे, उनको उसमें प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये जो दिशानिर्देश हुआ कि जिस शाला में सत्र 2017-18, 2019 में कार्यरत उनकी सेवाएं, जो शाला में पद रिक्त आपने बताया। जो सर्क्यूलर जारी हुआ, उसका पूरे प्रदेश में पालन किया गया और पालन करते हुए जो रिक्त पद थे ऐसे काम करने वाले जो विद्या मितान हैं उन सभी लोगों की नियुक्तियां की गईं, जहां पर रिक्त पद थे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर रिक्त पद थे सभी जगहों पर उनकी नियुक्ति की गई और कई जगह उसमें कंफ्यूजन था कि उसमें लोकल स्तर पर होना चाहिए या जो विद्या मितान का जो काम कर रहे थे, उसमें होना चाहिए। फिर यहां से उसका स्पष्टीकरण गया कि जो विद्या मितान जिस स्कूल में काम कर रहे थे, जिस जिले में काम कर रहे थे वहीं पर उनको

[2] परिशिष्ट- ''दो''

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्राथमिकता दी जायेगी और उसमें सभी को दिया गया है और जहां पर कुछ लोगों की शिकायतें थीं, उनको दूर करके, वहां पर नियुक्ति कर दी गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये सूची बता रहा हूँ मेरे पास जो सूची है कि हेमेन्द्र वर्मा ये भैरमगढ़ में थे, विद्या मितान के स्थान पर अन्य को रखा गया।मेरे पास में ऐसे 94 लोगों की सूची हैं और ऐसे लोगों के बजाए दूसरे लोगों को रखा गया । जो आपका सर्कुलर था, उस निर्देश का पालन नहीं हुआ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ में आप कार्यवाही करेंगे जिनके द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया है और उनको निलंबित करेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जगह जो निर्देश गये थे, उसका पालन किया गया है। जहां पर निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, उनकी शिकायतें हुई थीं, उन शिकायतों की जांच की गई और जब जांच करने के बाद उनकी शिकायत सही पाई गई तो उनको वहां पर स्कूल में नियुक्ति दे दी गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने बताया है कि उसमें बी.एड. होना चाहिए। चलिये मैं आपको सूची पढ़कर बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिए, बहुत लंबी सूची है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार में नौकरी देने की स्थिति में नहीं हैं और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं ये लगातार उनको निकाल रहे हैं। जो गाईडलाईन इनके द्वारा खुद जारी की गई है, उस गाईडलाईन का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग भटक रहे हैं। यदि इनको इस विधानसभा के अंदर में न्याय नहीं मिलेगा तो किसको न्याय मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय :- सबको न्याय मिलेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता कि हाईस्कूल हारोल, कोण्डगांव ताजिम खान, शांताबेड़ा आशीष मिश्रा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष की जो शिकायत है इसको आप पूरी तरीके से जांच करा लीजिए और जहां-जहां आपके नियमों का पालन नहीं हुआ है, उस पर कार्यवाही करिये। श्री दलेश्वर साहू।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। यह विद्या मितानों की बहुत कम संख्या है, सबको रखने के लिए बोल दीजिए। आदरणीय मंत्री जी थोड़ा बड़ा दिल रखिये। इनकी बहुत ही कम संख्या है, बेचारे कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनको नौकरी पर लगा दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय-सीमा और बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए बोल दिया न कि वह जांच करेंगे। आपकी जितनी भी शिकायत है, आप उनको दे दीजिए, वह जांच करेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

<u>डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में पट्टा वितरण</u>

4. (*क्र. 972) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग के अंतर्गत डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय भूमि, घास भूमि आबादी व प्रचलित आबादी का सर्वे किया गया ? (ख) यदि हां, तो कितने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरित किया गया है? कितने लोगों का पट्टा वितरण लंबित है ? लंबित प्रकरणों की जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) 651 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं 468 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरित किया गया है तथा 161 मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण हेतु लंबित है. लंबित हितग्राहियों की सूची परिशिष्ट ††[3] संलग्न है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण के संबंध में प्रश्न किया था मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टा वितरण के लिए कितने-कितने हितग्राहियों का सर्वे किया गया था, दोनों योजना की सर्वे संख्या एवं पात्र-अपात्र हितग्राहियों की जानकारी जानना चाहता हूं ? आपने पट्टा वितरण की तो जानकारी दे दी है, मैं सर्वे की जानकारी चाहता हूं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 651 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं 468 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- 161 मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण हेतु लंबित है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना लोगों का सर्वे किया गया, यह इनका प्रश्न नहीं है। जो सर्वे हुआ और जो इसमें पात्र, अपात्र पाये गये या इसमें जो छूटे हुए हैं, मैंने उसकी जानकारी दी है। इसमें अगर वह पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने 100 सर्वे किये होंगे तो 50 बांटे होंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना सर्वे किये हैं? मेरे पास बहुत सारे लोगों की पूरी सूची है, पर आपने वितरण कम संख्या में किये हैं, उसका कारण वही पात्र, अपात्र की जानकारी हो तो माननीय मंत्री जी बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय आप सूची लेकर मंत्री जी के कक्ष में चले जाईयेगा। श्री विद्यारतन भसीन।

---

[3] परिशिष्ट -''तीन'''

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के लंबित हितग्रहियों को कब तक पट्टा वितरण कर देंगे और छूटे हुए हितग्राहियों का पुन: सर्वे कब करायेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 161 मुख्यमंत्री आबादी पट्टों का अनुमोदन दिनांक 24.11. को किया गया है और अविवादित आबादी पट्टा वितरण जल्द किया जायेगा और विवादित प्रकरणों के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। और आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी छूटे होंगे तो हमें बता दें, हम अलग से सर्वे करा देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय-सीमा बता दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 1 महीना के अंदर करा देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- धन्यवाद।

प्रश्न संख्या :- 05 XX XX

<u>बस्तर जिला में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में बच्चों को दिया गया प्रवेश</u>

6. (*क्र. 616) श्री रेखचन्द जैन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिला के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किन-किन विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर कितने-कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रवेशित बच्चों के एवज में विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि भुगतान किया जाना था और कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार एवं स्कूलवार जानकारी देवें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र "अ" प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" अनुसार है.

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसके बावजूद इस अधिनियम के अंतर्गत नर्सरी की कक्षाओं में 3 साल के बच्चों को भी एडमिशन दिया जा रहा है तो इस एक्ट के मूल प्रावधान से हटकर ऐसा कब से और क्यों किया जा रहा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.टी.ई. के तहत् जो शालाओं में प्रवेश दिया जाता है वह कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक होती है लेकिन इसमें मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है और अगर कहीं शिकायत होगी तो उसकी हम जांच करा लेंगे ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिला स्तर पर शुल्क भुगतान का परीक्षण करने की क्या व्यवस्था है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो गाईडलाईन दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या जिला स्तर पर शुल्क भुगतान की कोई व्यवस्था है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गाईडलाईन है उसके अनुसार प्राथमिक शालाओं में प्रतिवर्ष जो 7000 रूपये उनकी फीस होती है वह उनको दिया जाता है । आफ्टर प्राथमिक में 11,400 और प्राथमिक स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के लिये उनको साल में 250 रूपये दिये जाते हैं, पूर्व माध्यमिक को 450 रूपये और गणवेश के लिये 540 रूपये दिये जाते हैं और स्कूल में जो निर्धारित फीस है तो वहां पर जो एक्चुअल फीस ली जाती है उसमें हम लोग देते हैं और जिस स्कूल की फीस अधिक है वहां पर हमारा जो निर्धारित मापदंड है उतनी ही फीस हम लोग उस स्कूल को देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं कि जब प्रत्येक बच्चे के लिये 7000 रूपये का शुल्क निर्धारित है तो कुछ ऐसे स्कूल जहां का वार्षिक शुल्क 3500 रूपये, 4000 रूपये है तो उनको भी 7000 रूपये का भुगतान किया गया है तो क्या यह भुगतान की कार्यवाही सही है और यदि गलत है तो जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दोषी नहीं है। जो गाईडलाईन है कि उसमें हम लोग 7000 रूपये ही देंगे और यदि स्कूल की फीस उससे ज्यादा है तो हम केवल 7000 रूपये ही देंगे और बाकी उनके पैरेंटस देंगे ।

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय मंत्री जी, जिसमें 3500 रूपये शुल्क निर्धारित है चूंकि मेरे पास स्कूल का प्रपत्र पड़ा है कि 3500 रूपये वार्षिक फीस निर्धारित है उसको भी 7000 रूपये का भुगतान किया गया है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.टी.ई. के तहत् जो बड़े स्कूल हैं वे गरीब बच्चों को पढ़ाने से मना कर देते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वैसे स्कूलों को सख्त निर्देशित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा जी ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से लेकर 2020 तक कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया और कितने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप तीनों प्रश्नों का एक-साथ जवाब दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है वह वर्ष 2017 से संबंधित है तो उसके लिये तो हमको अलग से ही सूचना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । क्या आप कम फीस होने के बावजूद अधिक फीस वाले प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे ?

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के अधिकार का जो मामला वर्ष 2010 से चल रहा है । यह पूरे छत्तीसगढ़ में जांच का विषय है और नये-नये स्कूल खोल दिये गये हैं, नर्सरी में एडमिशन करा दिये गये जबकि इसमें गरीब बच्चों के लिये 25 परसेंट का क्राईटेरिया है और 40 परसेंट, 50 परसेंट तक बच्चों को भर्ती कर लिया गया है तो इसकी जांच की जाये । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सदन में इसकी घोषणा करें और जिनको ज्यादा पैसे का भुगतान कर दिया गया है वह गलत है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । माननीय मंत्री जी जांच करा लीजिये, जो दोषी हैं उस पर कार्यवाही हो ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करा लूंगा और जो भी दोषी है उन पर कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । श्री धर्मजीत सिंह जी ।

<u>नगरीय क्षेत्र के अवैध कब्जाधारियों को काबिज भूमि बेचने संबंधी निर्णय</u>

7. (*क्र. 1081) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग रायपुर राजधानी एवं बिलासपुर नगरीय क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण के कितने प्रकरण दर्ज है, दर्ज प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) कंडिका "क" के क्षेत्र में 31 जनवरी, 2020 की स्थिति में कितने-कितने चांदा-मुनारा मौजूद हैं (भूमि सीमांकन मानक चिन्ह) इसका सर्वे कब-कब किया गया, नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर, कब्जाधारियों को विक्रय करने का निर्णय लिया हैं ? यदि हां, तो इसके लिए शासन का क्या दिशा निर्देश है ? किस दर पर ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क)

1.	जिला दुर्ग	नजूल भूमि पर अवैध कब्जा के 17 प्रकरण दर्ज है. सभी प्रकरणों में व्यवस्थापन कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. जिला रायपुर — नजूल भूमि पर अवैध कब्जा के 72 प्रकरण दर्ज है. सभी प्रकरणों में कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

3. जिला बिलासपुर — नजूल भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है.

(ख) 1. कंडिका "क" के क्षेत्र यथा दुर्ग जिले के दुर्ग नगरीय क्षेत्र नजूल भूमि के अंतर्गत कुल 221 चांदा तथा मुनारा नक्शों के अनुसार है. दिनांक 31.1.2020 की स्थिति में कोई भी चांदा तथा मुनारा स्थल पर मौजूद नहीं है. इसका सर्वे सितम्बर, 2019 से प्रारंभ है.

2. रायपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आने वाले 60 ग्रामों में 31.1.2020 की स्थिति में केवल कुल 03 चांदा ग्राम सरोना में उपलब्ध है. सर्वे कार्य मई, 2018 से प्रारंभ है.

3. बिलासपुर जिले में 31.1.2020 की स्थिति में चांदा मुनारा उपलब्ध नही है. सीमा चिन्हों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है.

(ग) कंडिका "क" के प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर कब्जाधारियों को बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि एवं भूमि स्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि देय होगी. इस प्रकार प्रचलित गाईड लाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत देय होगी.

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछा था कि बिलासरुप, दुर्ग और रायपुर में नजूल भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण के कितने प्रकरण दर्ज हैं । उन्होंने जवाब दिया है कि दुर्ग में 17, रायपुर में 72 और बिलासपुर में एक भी नहीं। मेरी दृष्टि से यह जानकारी असत्य है ।

अध्यक्ष महोदय :- इस पर कोई संशोधित उत्तर है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे नहीं मिला है संशोधित उत्तर ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनसे पूछ रहा हूं बिलासपुर में अवैध कब्जा/निर्माण के विषय में कोई संशोधित उत्तर है क्या । आप यही जानना चाहते हैं ना ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जो लिखकर दिया गया है, वही पूछ रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, संशोधित उत्तर नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह आपने लिखित में दिया है कि बिलासपुर में अवैध कब्जे का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है । लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत ज्यादा है । तो यह जानकारी या तो जिसने भी लायी है, उसने गलत जानकारी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तालाब, नहर, नाला, नाली और उसका किनारा भी नजूल में ही आता है । वहां तो तालाब पाटकर मॉल बना दिये गये हैं, तालाब पाटकर कॉम्प्लेक्स बना दिये गये हैं । तालाब पाटकर, नदी पाटकर बड़े बड़े बिल्डर्स ने इमारतें तान दी हैं। मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप बिलासपुर में इसको एक बार फिर से सर्वे कराकर जानकारी देंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, सर्वे का काम जारी था, अभी बीच में चुनाव था । आपको जो जानकारी दी गई है कि बिलासपुर में प्रकरण दर्ज नहीं है, मैंने यह नहीं कहा है कि वहां कोई अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण है, लगभग हर शहर में अतिक्रमण है । इसीलिए तो नियम बनाए गए हैं कि जो अतिक्रमित भूमि है, 10 साल, 20 साल, 40 साल या लम्बे समय से जो भी अतिक्रमण हुए हैं, उसके लिए जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें सर्वे कराएंगे और काफी जगह सर्वे हुआ भी और जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके मुताबिक 37605 अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन किया भी है । पूरे प्रदेश में यह चल रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए ना । मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपके रिकार्ड में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- प्रकरण दर्ज नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- और मेरा कहना है कि वहां पर बेजा कब्जा है । आप इसका फिर से सर्वे कराकर, मुझे अवगत कराएंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इसका बिल्कुल सर्वे कराएंगे और जो भी अतिक्रमित भूमि होगी, उस पर प्रकरण दर्ज करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैंने तीनों जिलों के चांदा, मुनारा के बारे में पूछा है । चांदा मुनारा कहां-कहां मौजूद है ? आपका जवाब बहुत ही दुखद है । आपने कंडिका क के क्षेत्र में दुर्ग जिले में, दुर्ग नगरीय क्षेत्र के नजूल भूमि के अंतर्गत कुल 221 चांदा मुनारा नक्शों के अनुसार है । चांदा मुनारा नहीं है, नक्शे के अनुसार है । उसी तरह से रायपुर में भी सिर्फ 3 चांदा मुनारा है और बिलासपुर में तो एक भी नहीं है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह चांदा मुनारा गायब क्यों हो गया और अगर यह गायब हो गया तो आपका राजस्व अमला जमीनों के विवाद की स्थिति में जांच-पड़ताल कैसे करता है, या सरकारी जमीन को नापने की स्थिति में, या किसी सही जमीन के मालिक की जमीन को नापने की स्थिति में आप कौन सा औजार या रास्ता अख्तियार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अब उसमें यह भी जोड़ दीजिए कि कब से गायब है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- गायब कितने सालों से है, यह तो इनको भी नहीं मालूम है । इन्होंने तो सीधा लिख दिया है कि है ही नहीं । आप बता दीजिए कब से गायब है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज की जानकारी लेकर आया हूं कि बिलासपुर कलेक्टर के ठीक सामने बिलासपुर का चांदा मुनारा था, आज से 12-15 साल पहले जब उसका पोर्च बना, तो चांदा मुनारा को उखाड़कर फेंक दिया गया । बिलासपुर में एक भी नहीं है तो बिना चांदा मुनारा के आप कैसे काम करते हैं भइया, कौन सी कला से करते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो सीमांकन का कार्य किया जाता है तो इसमें रिफरेंस प्वाइंट की आवश्यकता होती है । जब किसी जमीन का सीमांकन किया जाता है तो रिफरेंस प्वाइंट की आवश्यकता होती है । कोई रिफरेंस होता है उसके आधार पर करते हैं । ऐसा प्वाइंट या बिंदु जो नक्शे और मौके पर चिन्हांकित है तथा उस बिंदु को लेकर किसी प्रकार का विवाद न हो । चांदा मुनारा की स्थापना राजस्व सर्वेक्षण के समय की जाती है तथा इन्हीं चांदा मुनारा को रिफरेंस बिंदु मानते हुए सर्वेक्षण कार्य किया जाता है, इसी कारण चांदा मुनारा को रिफरेंस प्वाइंट मानकर सीमांकन कार्य करने का प्रावधान है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब चांदा मुनारा है ही नहीं तो ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- चांदा मुनारा अभी गायब नहीं हुआ है, धर्मजीत भइया। चांदा मुनारा पहले से ही नहीं है और जो रिफरेंस प्वाइंट के आधार पर सर्वेक्षण होता है । आजकल जमाना बदल गया है, नई टेक्नालॉजी आ गई है । मैं आपको बता देता हूं कि आगे हम लोग किस दिशा में काम करेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मोहले जी गरीब आदमी हैं। उन्हें पूछने दीजिए। मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री रविन्द्र चौबे :- नई टेक्नालॉजी में आपका क्या काम है ? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानना चाह रहे हैं, उन्हें जवाब दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं टेक्नालॉजी के विषय में पूछना चाहता हूं..।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान मंत्री जी ने कहा कि नई टेक्नालॉजी का जमाना है। हमारे ममा का क्या काम बताइए ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरा काम है न। उसी टेक्नालॉजी का मुझे उपयोग भी करना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मोहले जी।

श्री अजीत जोगी :- टेक्नालॉजी का ज्ञान इनको जितना है। टेक्नालॉजी जितना ज्ञान इनके जैसा किसी को नहीं है। इनसे पूछें कि इनकी कितनी पुत्र-पुत्रियां हैं। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नजूल भूमि को चाहे वह कहीं भी हो, उसे प्रदेश में बेचने का अधिकार क्या कलेक्टर को है ? वह कितने प्रतिशत बेच सकता है और कितने प्रतिशत सुरक्षित रख सकता है ? उदाहरण के लिए मेरे मुंगेली

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिले में जमीन की बिक्री हो गई है और बिना नीलामी किये बगैर इसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। क्या आप इसकी जांच कराएंगे ? व्यक्तिगत किसी ने लिया है तो वह ठेकेदारों ने लिया है। गरीब आदमी ने नहीं लिया है। मेरे पूछने का मतलब यह है कि नजूल भूमि का कितना प्रतिशत सुरक्षित माना जाता है और कितना बेचा जाता है ? मुंगेली में तो कोई जमीन है ही नहीं। निर्माण कार्य के लिए थोड़ा बहुत बचा है 10-25 डिसिमल है 50 एकड़, उसे बेच खाये हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपके रहते जमीन कैसे बच सकती है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धर्मजीत सिंह जी का जवाब दे देता हूं, क्योंकि चांदा-मुनारा के बारे में जानकारी देना जरूरी है। मैंने बताया कि चांदा मुनारा के लुप्त होने की स्थिति में उनकी पुनर्स्थापना पर विभाग विचार कर रहा है, इसके साथ-साथ चांदा-मुनारा की स्थापना सर्वेक्षण के समय की जाती है। चांदा-मुनारा के 36 कोने पर यदि चांदा-मुनारा के अवशेष उपलब्ध न हो तभी मरम्मत किया जाता है। संभवत: चांदा-मुनारा स्थल से लुप्त हो चुका हो तो पुनर्स्थापना पूर्णत: शुद्धता के साथ संभव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में शासन के पास दो विकल्प हैं। या तो प्रचलित पद्धति से राजस्व सर्वेक्षण कराया जाए या आधुनिक पद्धति से। क्योंकि वर्तमान प्रचलित पद्धति से राजस्व सर्वेक्षण का कार्य अत्यधिक श्रमसाध्य होने के साथ-साथ खर्चीला भी है। सर्वेक्षण कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु कैडेस्ट्रल नक्शे का जियो रिफरेंसिंग कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4x4 किलोमीटर की दूरी पर कंट्रोल प्वाइंट स्थापित किये जाएंगे। कंट्रोल प्वाइंट की सहायता से प्रत्येक सर्वेक्षण चिन्हों के जियो कोओर्डिनेट्स ज्ञात किये जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम में पृथक से चांदा-मुनारा की स्थापना की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नक्शे के प्रत्येक खसरा नंबर अक्षांश-देशांश उपलब्ध होने से जी.पी.एस. मशीन की सहायता से सीमांकन कार्य अधिक सुदृढ़ता के साथ संभव होगा और इसके लिए हमने धमतरी जिले को पॉयलेट प्रोजेक्ट में लिया है और उसके बाद उसे और आगे बढ़ाएंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, चलिए मुंगेली चलिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नजूल भूमि का कितना प्रतिशत सुरक्षित रखा जाता है?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं पूछ देता हूं। माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य और हमारा ही जिला मुंगेली है। इनका कहना यह है कि मुंगेली में नजूल भूमि को कलेक्टर के द्वारा बेच दिया गया है या सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तो उसका क्या तरीका है ? बिना नीलामी या बिना competition के उसे कैसे दे दिये ? यदि एक जमीन के लिए दो दावेदार हैं तो आपकी सरकार का क्या नियम है ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उन्होंने पूछा है कि कलेक्टर को कितने प्रतिशत बेचने का अधिकार है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, और कितने प्रतिशत बेचना है और कितना सुरक्षित रखा जाएगा ?

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 20 अक्टूबर, 2017 से पहले की अगर कोई अतिक्रमित भूमि है और उसमें कोई अतिक्रमण किया गया है तो उसमें शासन ने प्रावधान किया है कि उसे आबंटित कर सकते हैं। कलेक्टर को साढ़े सात हजार फुट तक आबंटित करने का अधिकार है और साढ़े सात हजार फुट से ऊपर अगर होगा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आदेश को हम लोगों ने भी पढ़ा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- जितने कब्जे में है, उसे सबको बेच सकते हैं या सरकार के लिए सुरक्षित रखेगा, यह पूछ रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न। 20 अक्टूबर, 2017 से पहले का अगर अतिक्रमण है और दूसरा उसमें नीलामी की बात आपने की तो अगर किसी भी जमीन पर आवेदन एक से अधिक आयेंगे तो उसमें नीलामी का प्रावधान है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही आवेदन आया। उसे स्वीकृति दी गई और वहां भूमिहीन सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा, रिक्त भूमि है, उसे एक ही आवेदन में बेचा गया है और किसी का कब्जा ही नहीं था। यह बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको जानकारी बता देता हूं। आप जांच करा लें।

अध्यक्ष महोदय :- विकास उपाध्याय जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं अब पूछना चाहता हूं कि अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर कब्जाधारियों को विक्रय करने का निर्णय लिया है तो इसके पैमाने क्या हैं ? आपने पैमाना में बताया है, आपने जवाब में लिखा है कि कण्डिका-क के प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर काबिजधारियों को बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी एवं भूमिस्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि देय होगी। इस प्रकार प्रचलित गाईड लाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत देय होगी। गाईड लाईन दर तो कलेक्टर तय करते हैं। बाजार मूल्य कैसे तय होता है और बाजार मूल्य को कौन तय करेगा ? गाईड लाईन दर, रेट कलेक्टर तय करेगा और बाजार मूल्य क्या है ? इसको थोड़ा सा समझा दीजिये, फिर एक और प्रश्न करके समाप्त कर दूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गाईड लाईन कलेक्टर तय नहीं करते हैं। गाईड लाईन में कलेक्टर अपनी सिफारिश भेजते हैं और सरकार उसको तय करती है। इसमें मोहले जी और आपने भी कहा कि जो अतिक्रमण की बात है, जो विकास योजना होती है। किसी भी शहर की, जैसे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बिलासपुर शहर है, तो उसका एक मास्टर प्लान होगा, उसकी एक विकास योजना होगी। अगर कोई भी जमीन किसी ऐसे शासकीय कार्य या कहीं भी उपयोग की है, अगर उसमें चिन्हांकित है तो उसको नहीं बेचा जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी आज 2 तारीख है, हम यहां बैठे हैं और जब से यह नियम बना है, तब से लेकर अभी तक रायपुर में इस प्रावधान के तहत किसको-किसको, कहां-कहां, कितनी-कितनी, कितने दर पर जमीन दी गई, कृपा करके उनका नाम बता दीजिये ?

अध्यक्ष महोदय :- उसकी जांच करा लेते। यह बहुत लंबा प्रश्न है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच नहीं कराना है। कोई भ्रष्टाचार थोड़ी न है। यह तो सरकार के नियम के मुताबिक हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- समय समाप्त हो रहा है। बहुत लंबा प्रश्न हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- या तो आप यह बोल दीजिये कि मुझे सूची दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हां, सूची दे देंगे। आप सूची दे दीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से रायपुर में नहीं दी गई है। अगर कोई होगा तो हम इनको सूची उपलब्ध करा देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं सिर्फ रायपुर का पूछ रहा हूं।

जिला रायपुर में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि

8. (*क्र. 1110) श्री विकास उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सड़क निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है ? (ख) रायपुर जिले में बीते 5 साल में सड़क निर्माण के दौरान कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ग) अब तक भूमि अधिग्रहण के मामले में कितने भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि देना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधान के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है. (ख) रायपुर जिले में बीते 5 साल में सड़क निर्माण हेतु कुल 884 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया. (ग) रायपुर जिले में अधिग्रहण के मामले में कुल 72 कृषकों का मुआवजा दिया जाना शेष है.

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से सड़क निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी, वह जानकारी आ गई है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैंने यह जानकारी मांगी थी कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- जब जानकारी आ गई है तो धन्यवाद दीजिये और नमस्ते करिये, आगे बढ़िये।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे और भी 2 प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, जल्दी पूछिये।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब में 884 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिन किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया गया, तो क्या सभी को पूर्ण मुआवजा दिया जा चुका है? अगर हां तो कितना ? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने 72 किसानों का प्रकरण लंबित होना बताया है, उन 72 किसानों का प्रकरण लंबित क्यों है ? 5 साल से प्रकरण लंबित है तो उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया है, उनको मुआवजा दिया गया है। बाकी जिनको नहीं दिया गया है, वे उसको लेने नहीं आये है। क्योंकि उसके लिए उनको थोड़ा सा प्रयास उनको भी करना चाहिए या बहुत से लोग समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बाकी जो भी विवादित प्रकरण हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों को हम लोग मुआवजा देने को तैयार हैं। पैसा बिलकुल जमा है।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 72 किसानों का प्रकरण कब से लंबित है और इनको कितना मुआवजा राशि देना है ? चूंकि जिसकी जमीन अधिग्रहित हुई है, तो कोई किसान है, उसकी पूरी जमीन चली गई है। अगर उस किसान को मुआवजा मिल जाता तो अपने बच्चों को रोजगार में लगाता, मकान-दुकान बनाता। आज की स्थिति यह है कि उनको पैसा नहीं मिला है। वे 72 किसान को परेशान घूम रहे हैं। जिन लोगों ने मुआवजा तय किया या उस समय जो अधिकारी वहां पर थे, किस कारणवश 884 किसानों में से इन 72 लोगों को छोड़ा गया है, यह मैं आप से जानना चाहता हूं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत से ज्यादा मुआवजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट भी गये हैं। कुछ लोग हाईकोर्ट गये हैं, कुछ लोग राशि लेने के लिए नहीं आये। विवादित को छोड़कर, बाकी के बारे में मैंने बताया कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, इसमें सरकार की ओर से कोई बात ही नहीं है।

<u>ओरछा विकासखण्ड का राजस्व सर्वेक्षण</u>

9. (*क्र. 720) श्री चंदन कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड (अबुझमाड़ क्षेत्र) के कितने राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण 31

जनवरी, 2020 तक पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने ग्रामों का शेष हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार राजस्व सर्वे हेतु शेष ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य किन-किन कारणों से अभी तक नहीं हो पाया है? (ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) 01 (एक) ग्राम कुरूसनार का सर्वेक्षण कार्य 31 जनवरी 2020 तक पूर्ण हो गया है तथा 236 ग्रामों का शेष है. (ख) नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड (अबूझमाड़ क्षेत्र) में नियमित राजस्व सर्वेक्षण के स्थान पर मसाहती सर्वे का कार्य किया जा रहा है. सर्वेक्षण हेतु शेष ग्राम दुर्गम, पहाड़ी तथा अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. (ग) सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर के अबूझमाड़ का सर्वे पूरा नहीं होने के कारण शासन द्वारा लागू योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक लोन, धान-मक्का को समर्थन मूल्य पर बेचने, निवास प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको कैसे दूर करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपने क्या पूछा ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आप फिर से स्पष्ट रूप से पूछिये कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अबूझमाड़ का सर्वे पूरा नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूं। वहां निवासरत लोग शासन द्वारा लागू योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक लोन, मक्का, धान समर्थन मूल्य पर बेचने, जाति, निवास प्रमाण-पत्र बनाने में काफी समस्याएं हो रही हैं । इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- उनका कहना है कि सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है तो जो शासकीय योजनाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए आपने क्या सोचा है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अबुझमाड़ में पहली बार सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ है । इसमें एक गांव पुरूषनार का सर्वे 31 जनवरी तक पूर्ण हो चुका है, लगभग 18 गांव का सर्वे पूर्णता की ओर है और बाकी गांव के भी सर्वे का कार्य किया जाएगा । बीच में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी अमला प्रभावित रहा । हम उसका सर्वे आगे जल्दी कराएंगे, उसके लिए हम लोग बेहद प्रयासरत् हैं ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अबुझमाड़ बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है ..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कश्यप जी, मैं खुद कर रहा हूं कि अबुझमाड़ अब तक दुर्गम क्षेत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहा है । यदि वहां सर्वे हो रहा है तो आप सब जो बस्तर डिवीजन के विधायकगण हैं, वे उसमें सहयोग प्रदान करें और अबुझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो जाए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मात्र 18 गांव का सर्वे हुआ है, उसका जल्दी से जल्दी सर्वे हो, उसके लिए अलग से टीम गठित करके सर्वे करेंगे, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ उनको मिल सके, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर इस काम को शुरू कराया है, जिसमें एक गांव का सर्वे पूर्ण हो चुका है, 18 गांव का सर्वे लगभग पूर्णता की ओर है और बाकी सर्वे के कामों में भी हम तेजी लाएंगे ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है..

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, आप लिखकर दे दीजिए । डॉ. बांधी जी ।

<u>प्रदेश में स्कूली छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण</u>

10. (*क्र. 933) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के स्कूली छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा सायकल वितरण की क्या योजना है ? (ख) इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 2020 तक कितने छात्र-छात्राओं को किस योजना के अंतर्गत कितनी सायकलों का वितरण किया गया है व किन फर्म द्वारा सायकल वितरण किया गया है ? (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" योजनातंर्गत कुल कितना बजट रखा गया है ? कितना व्यय हो गया है व कितना शेष है ? (घ) क्या सायकल वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश के स्कूली छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क सरस्वती सायकल योजनांतर्गत सायकलों का वितरण किया जाता है. (ख) इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी 2020 तक छात्राओं को सायकलों का वितरण नहीं किया गया है, अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" योजनांतर्गत कुल 64.50 करोड़ का बजट प्रावधान है. सत्र 2019-20 के बजट प्रावधान से सत्र 2018-19 के लंबित देयकों की राशि रुपये 35,66,25,000 (पैंतीस करोड़ छैंसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) का भुगतान किया गया है तथा शेष राशि रुपये 28,83,75,000 (अट्ठाईस करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) शेष है. (घ) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरस्वती साईकल योजना के अंतर्गत आपने जो बजट प्राप्त किया था, उस बजट में से आपने वर्ष 2018-19 का भुगतान किया ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना लंबा प्रश्न न करें, आपके पास दो मिनट का समय बाकी है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस बजट में छात्र-छात्राओं को सरस्वती योजना के अंतर्गत सायकल देने की योजना है, आपने कितने लोगों को दिया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साईकल देने में देरी हुई है, उसका कारण यह है कि सरकार बनने के बाद तो 6-7 महीना आचार संहिता लगी रही । पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव हुए, उसके कारण सायकल वितरण करने में विलंब हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और जल्दी ही हम वितरण करने की कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरस्वती सायकल योजना का बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी आप उन बच्चियों को सायकल का वितरण नहीं कर सके और आपने घोषणा-पत्र में छात्रों को सायकल देने का प्रावधान किया था तो आपने छात्रों को भी सायकल का वितरण किया क्या ? अपनी घोषणा-पत्र के अनुसार छात्रों को भी सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत उस योजना का लाभ दिया क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सायकल सप्लाई करने वाले तो तय हो गए है न ? तो जल्दी से सायकल बटवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट । रंजना डीपेन्द्र साहू। दोनों सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देंगे । समय नहीं है, जल्दी प्रश्न करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं..

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देंगे । समय नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न फिर से बता दीजिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, नेता जी, नये सदस्य बोलना चाह रहे हैं, आप उनको बोलने से भी मना कर रहे हैं। महिला सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, उनको पूछने का अवसर दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न फिर से पूछ लें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सायकल बांटना नहीं चाहते हैं । उसको आनन-फानन में अभी भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे को रोककर रखा गया है, यह बहुत खेद का विषय है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, न किसी को रोककर रखा गया है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सायकल का वितरण क्यों नहीं किया गया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव होने के कारण सायकल का वितरण करने में विलंब हुआ है । एजेंसी तय हो गई है । हमें 1,74,562 सायकल बांटना है, उसके वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है । हमने तीन जिलों में सायकल का वितरण कर दिया है और जल्दी ही हम लोग इस का वितरण कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-2020

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-2020 पटल पर रखता हूँ ।

पूच्छा

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 27 फरवरी को ..।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शून्यकाल । प्रदेश में 27 फरवरी 2020 को आयकर विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पूर्व अधिकारी, कुछ वर्तमान अधिकारी, कुछ उद्योगपति, कुछ राजनेताओं के यहां छापा डाला गया और जब छापे की कार्यवाही चल रही थी, इस छापे को राज्य सरकार ने बाधित करने का प्रयास किया । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि छापे के दौरान अधिकारी जिन चार चक्के की गाड़ियों का उपयोग कर रहे थे, उन गाड़ियों की जब्ती बनाई गई । उनके ड्राइवरों को थाने में बैठा दिया गया और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि छापे की कार्यवाही चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल है कि आपका स्थगन है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- स्थगन दिया है माननीय अध्यक्ष जी । मैंने अपने स्थगन का विषय रखा है ।

अध्यक्ष महोदय:- आप उसको पढ़ रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, छापे की कार्यवाही चल रही थी । माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट समाचार पत्रों में आता है, मीडिया में चलता है कि केन्द्र सरकार इस छापे के माध्यम से प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है । माननीय चौबे जी बोलते हैं कि यह कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है । माननीय सिंहदेव साहब बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाली कार्यवाही है । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पहले तो इस छापे का स्वागत करते हैं, बाद में इसके विरोध में धरना देने चले जाते हैं ।

डॉ.शिंवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आधार है क्या ? यह स्थगन का आधार है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ, पुख्ता सबूत होने के बाद कार्यवाही की है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- पनामा का जांच कराओ ना ? नॉन घोटाले की जांच कराओ ? (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- छापे की प्रक्रिया,पद्धति, तौर-तरीकों का विरोध किया गया है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन जमा हो गया है । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईन्ट ऑफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- धान घोटाले की जांच पहले कराओ ना । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- पहले उसकी जांच कराओ ना । (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- पहले पनामा की जांच कराओ, पनामा का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार ऐसा हो रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- नॉन की चलती हुई जांच को रोकने के लिए हाईकोर्ट क्यों जाते हैं । आप भी बतायें ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ननकीराम कंवर जी । आप लोग बैठ जायें ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इस सदन का विषय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, मैं आपको सुन रहा हूँ ना ? मैं आपको सुन रहा हूँ । पहले ननकीराम जी को सुन लेता हूँ फिर आपको सुनूंगा ।

श्री ननकीराम कंवर :- मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्र शासन के अधिकारी उनको पूरे देश में छापा मारने की कार्यवाही करने का अधिकार है । वह इस प्रदेश में कार्यवाही करते हैं तो मंत्रिमण्डल अघोषित रूप से विरोध करते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए इन सब मंत्रियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय:- सत्यनारायण जी शर्मा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य शिवरतन शर्मा जी से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र शासन के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हम लोग अपनी सूचना में बात कर रहे हैं..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बातों को शांति से सुन रहा हूँ । आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं । आप बैठे रहिये । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- यदि शून्यकाल में माननीय सत्यनारायण जी कोई सूचना दिये होंगे तो उसमें बात करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी को इस प्रदेश की राजधानी रायपुर में भारतवर्ष के इंकम टैक्स और अन्य विभाग के अधिकारियों ने, यहां कुछ अधिकारियों, कुछ व्यक्तियों, कुछ व्यापारियों के यहां, छापा मारा । मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उठाकर पुलिस के अफसरों ने पूरे राजधानी में 20 गाड़ियां इंकम टैक्स अफसरों की थी, उसको रास्ता रोकने के जुर्म में जब्त की गई । अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में पहले भी जब डॉ.रमन सिंह जी की सरकार थी और एक व्यापारी के यहां छापा पड़ा था तो दिल्ली की टीम रात को 4.00 बजे छापा मारी, वह बहुत बड़ा उद्योगपति, व्यापारी है, उसके यहां सी.आर.पी.एफ. की टीम गई थी। वेस्ट बंगाल में भी वहां के डी.जी.पी. से पूछताछ करने के लिए दिल्ली की जो सेन्ट्रल एजेंसी है वह सी.आर.पी.एफ. लेकर गई थी। यह एक संघीय व्यवस्था है और फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी छापे की कार्यवाही चल रही है, इसी बीच केबिनेट की बैठक रद्द हो गई, इसी बीच कैबिनेट बैठकर राज्यपाल से मिल ली, रात को 12.00 बजे गाड़ियां जप्त कर ली गईं, दिल्ली के लिए प्रस्थान हो गया। अध्यक्ष महोदय, वेट करना चाहिए, सी.बी.डी.टी. का वेट करना चाहिए, अभी प्रेस कांफ्रेंस होगा। आप गलत हैं, नहीं हैं, क्या मिला, नहीं मिला?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको सूचना देने का प्रावधान है या नहीं है? आप पनामा में क्यों नहीं बोलते? आपको उस पर भी बोलना चाहिए। सरकार को सूचना दी जानी चाहिए।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- छापे की प्रक्रिया और पद्धति का विरोध है। अध्यक्ष महोदय, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी छापे की पद्धति का विरोध हुआ था।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसी अधिकारी के यहां इन्कम टैक्स ने छापा मारा है उसे राजनीतिक मंत्री के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंतहां तो तब हो गई जब सब केन्द्रीय मंत्री राज्यपाल के यहां गये। एक केबिनेट मंत्री नहीं थे, उनको भी अपराध लगा कि शायद मैं समर्थन नहीं दे पाया हूं तो वह चिट्ठी लिखकर समर्थन देते हैं। भारत सरकार और इस प्रदेश की टकराहट से इस प्रदेश का भला नहीं होगा। इससे देश नहीं चलता है, देश कानून- कायदे से चलता है। जितनी सीमा मर्यादा आपकी है उसमें आप रहो और जितनी सीमा मर्यादा उनकी है और जो अधिकार है उसमें वह रहें। प्रशासनिक कामों में, सरकार के कामों में चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो एक दूसरे को दखल नहीं देना चाहिए। टकराहट से किसी का भला नहीं होने वाला है। इंतजार कीजिए, प्रेस कांफ्रेंस आयेगा, क्या आयेगा क्या नहीं आयेगा अभी से आप अपराध बोध से क्यों ग्रस्त हो रहे हैं? छापा पड़ने दीजिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार के पपेट की तरह काम कर रही हैं, पालतू तोते की तरह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

काम कर रही हैं। इस बात को आप बोलिए।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठा-लट्ठी।

अध्यक्ष महोदय :- लट्ठम-लट्ठा।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, छापा मारना एक सामान्य प्रक्रिया है और छापा मारने से अभी तक कोई परिणाम सामने आया नहीं है। हो सकता है कि जितने छापे मारे गये, किसी के यहां कुछ न मिले। हो सकता है कि किसी के यहां मिले और किसी के यहां न मिले। तो जब तक कोई परिणाम सामने नहीं आता तब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि अधिकारियों पर छापे मारे गये, किसी व्यक्ति विशेष पर, व्यापारी पर छापा मारा गया तो उसके लिए वह स्वत: जवाबदार है। उसके लिए सरकार पर कोई आंच नहीं आती। सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के यहां तो छापा नहीं मारा गया है? तो हमको परिणाम के लिए वेट करना चाहिए। जब इंकम टैक्स अथारिटी, सी.बी.डी.टी. के चेयरमैन यह बतायेंगे कि किसके छापे में क्या मिला उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अभी से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करके ऐसा लगता है कि जैसे अपराधबोध, गिल्टी कान्सेस सामने आ रहा है। ये जो प्रतिक्रियायें व्यक्त हो रही हैं ये अनावश्यक हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इससे अपराध बोध व्यक्त होने लगता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय।

श्री अजीत जोगी :- मंत्री जी, अभी मुझे अनुमति दी है, आपको मौका मिलेगा ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है। ये विषय वस्तु इस सदन का है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा की अनुमति दे दी क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह विषय वस्तु इस सदन का है। आयकर अधिकारियों की गाड़ी जप्त की गई, उनके कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- नंबर (1) कि मैंने चर्चा की अनुमति नहीं दी है। नंबर- (2) मैं शून्यकाल में सभी सदस्यों को सुन रहा हूं। यह अभी मैंने जो स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है उस पर अभी कोई विचार व्यक्त नहीं किया हूं। मैं अभी शून्यकाल में सुन रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, जो सूचना आई है उसमें माननीय जोगी जी की तो सूचना ही नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जो सूचना आयी है उसमें माननीय जोगी जी की तो सूचना ही नहीं है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- है, सूचना है।

श्री अजीत जोगी :- है, है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- क्या फिर संयुक्त विपक्ष बन गये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- संयुक्त विपक्ष है। चल रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- संयुक्त विपक्ष है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अन्याय के खिलाफ में...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- यूं तो विपक्ष बनना (व्यवधान) संबंधित विषय में हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- सूचना आयी है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं। मुझे सुन लेने दीजिए ना। मैं शून्यकाल सुन रहा हूं, आप लोग मुझे सुनने दीजिए। मुझे अधिकार है, शून्यकाल में किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है ? (विपक्ष के सदस्यों द्वारा, मेजों की थपथपाहट)

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं केवल यही कह रहा हूं कि कृपया सब लोग इंतजार करें। सी.बी.डी.टी. चेयरमेन अपना प्रेस कांफ्रेंस लेंगे या प्रेस वक्तव्य देंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किस अधिकारी के पास कालाधन था ? किस व्यापारी के पास कालाधन था ?

अध्यक्ष महोदय :- आप संक्षिप्त में बोलिये, जानकारी न दें।

श्री अजीत जोगी :- किस व्यक्ति के पास कालाधन था ? अभी से क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप भी मत करिये।

श्री अजीत जोगी :- ये बिल्कुल समझ के बाहर है और इससे ब्रिटी कांफ्रेंस सामने दिखता।

अध्यक्ष महोदय :- आप सदस्यों से भी निवेदन है कि आप लोग भी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। श्री सौरभ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की टीम यहां पर आई।

अध्यक्ष महोदय :- आज सब एक ही विषय पर शून्यकाल दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन है।

अध्यक्ष महोदय :- तो इसने कह दिया। हो गया खत्म।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, केन्द्र सरकार की टीम आयी और यहां पर केन्द्र सरकार काम कर रही है। यह संघीय ढांचा की व्यवस्था है। इनकम टैक्स क्या काम करेगा ? इनफोर्समेंट डायरेक्टर क्या काम करेगा ? सी.बी.आई. क्या काम करेगा ? यह व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको करने दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- उस व्यवस्था के तहत वे यहां पर आए और जिन लोगों के खिलाफ अगर

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

उन्होंने गड़बड़ी की है, कोई उद्योगपति ने किया है, कोई व्यापारी ने किया है, तो किया। जो मामला उठ रहा है कि इस सदन का मामला नहीं है। कार्यवाही किसने की ? छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने ट्रैफिक के ऊपर कार्यवाही की।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने उनके कार में व्यवधान पहुंचाया। इसके लिये यह बात इस सदन में उठ रही है। स्थगन पर चर्चा करे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केन्द्र सरकार की जो आयकर टीम है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका भी वही सबजेक्ट है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- महोदय जी, हमारा स्थगन लगा हुआ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- (व्यवधान) नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- शून्यकाल हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जो आयकर विभाग की टीम आई, उसे कालाधन की पुख्ता जानकारी हुई। इसलिए वह टीम यहां पर आई। पूरी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कार्यवाही प्रारंभ की।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय महोदय जी, मुख्य बात इस विषय का है कि राज्य सरकार को यह बात हजम नहीं हो रही है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पनामा घोटाले की जांच कराओ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इसीलिए उन्होंने टीम भेजकर इनकी गाड़ियों को जप्त बनाने आदेश दिया है। यदि इतना ध्यान यातायात पर...। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- नान घोटाले में..। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- पहले पनामा को हजम करिये। हाजमा बहुत लगता है। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय महोदय जी, दिन में भी सरकार इस तरह का काम करती है, लेकिन वास्तव में इनकी क्या मंशा है, वह यहां पर स्पष्ट हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण मैंने कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण की सूचना।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचे के विपरीत जा करके सरकार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचा के विपरीत जा करके काम कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित।

(12:14 से 12:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:30 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- भईया प्रणाम।

उपाध्यक्ष महोदय :- जोहार-जोहर।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की ये परम्परा रही है कि जब भी आंसदी पर आते हैं तो बायीं तरफ का नमस्कार पहले स्वीकार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय ऐसा नहीं है। सबकी आवाज आ रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आदरणीय आज आपने उधर ही देखा, इधर देखा ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी आवाज आ रही थी।

श्री कवासी लखमा :- इधर मेरी आवाज ज्यादा क्लियर थी, इसलिए उन्होंने इधर देखा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज इधर देखा ही नहीं।

श्री कवासी लखमा :- वे कल देखेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपनी जगह पर जाकर बोलिए, संसदीय कार्यमंत्री जी के बाजू में बैठकर बदनाम मत करिये। आप वहां जाकर बैठिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:31 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनांए शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

(1) बिलासपुर जिले की अरपा नदी का पानी प्रदूषित होना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी, जिससे वहां के मानव व पशु संसाधन को जल उपलब्ध होता है, जो स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, किन्तु विडम्बना यह है कि वर्तमान समय में बिलासपुर व आसपास स्थित उद्योगों का प्रदूषित जल, सीवरेज का प्रदूषित पानी व नालियों का बिना उपचारित पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो गया है तथा यह जल पेयजल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है व स्नान आदि में जल का उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। पर्यावरण विभाग की लापरवाही के कारण नदी के किनारे स्थित ग्राम कनेरी, सरवानी, तिरैया, दुर्गडीह, मंगला, पसीद, मटिया, विघाडीह, ठाकुरदेवा, कुटेला, कोनी, लावर, भोथीडीह, दर्रीघाट व कर्रा इत्यादि अनेक ग्रामों व बिलासपुर के नागरिकों को अरपा नदी के प्रदूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे अनेक बीमारियों से यहां के नागरिक ग्रसित हो गये हैं। बार-बार शिकायत करने के पश्चात् भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करने वाली संस्थाओं/उद्योगों ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे आम जनता में रोष व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि अरपा नदी में बिलासपुर व आसपास स्थित उद्योगों का प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है। उद्योगों द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र की व्यवस्था की गई है तथा उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग कर परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। अरपा नदी में वर्ष भर जल का प्रवाह नहीं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहता है। यह सही है कि बिलासपुर शहर से उत्पन्न घरेलू दूषित जल का कुछ भाग नालों के माध्यम से अरपा नदी में निस्सारित होता है, जिससे नदी जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर जिले में अरपा नदी के जल उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग नहीं हो रहे हैं। अत: यह कहना सही नहीं है कि स्नान आदि में जल का उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। अरपा नदी किनारे स्थित ग्रामों में पेयजल हेतु हैंडपंप की व्यवस्था है। अत: यह कहना सही नहीं है कि नदी के किनारे स्थित ग्राम कनेरी, सरवानी, तिरैया, दुर्गडीह, मंगला, पसीद, मटिया, विद्याडीह, ठाकुरदेवा, कुटेला, कोनी, लावर, भोथीडीह, दर्रीघाट, व कर्रा इत्यादि अनेक ग्रामों व बिलासपुर के नागरिकों को अरपा नदी के प्रदूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। वर्तमान में नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा ग्राम-चिल्हाटी में 17 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं दो मुहानी में 54 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित एवं संचालित है। अरपा नदी में मिलने वाले 10 मुख्य नालों का सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी तैयार की गई है। विगत एक वर्ष में संस्थाओं/उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल, नदी में प्रवाहित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि बार-बार शिकायत करने के उपरांत भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करने वाली संस्थाओं/उद्योगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आम जनता में रोष व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग के विभाग द्वारा एक वर्ष में कब-कब, किन-किन उद्योगों का परीक्षण किया गया है और वह पानी नहाने या पीने योग्य है या नहीं है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.एम.ओ. बिलासपुर के द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि पानी से त्वचा रोग आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा आपने पीने के पानी और उपयोग करने के पानी के बारे में जानकारी मांगी है, उसके हिसाब से लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जिसमें कनेरी में 12, सरवानी में 11, तिरैया में 9, दुर्गडीह में 4, मंगला में 13, पसीद में 21, मटिया में 9, विद्याडीह में 12, ठाकुरदेवा में 14, कुटेला में 14, कोनी में 12, लावर में 24, दर्रीघाट में 21 व कर्रा में 24 हैण्डपंप स्थापित हैं, दुर्गडीह में नलजल योजना प्रगतिशील है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाह रहा था पर्यावरण के लिए इन गावों के हैण्डपंपों की जानकारी नहीं चाहिए, अरपा नदी का पानी क्या नहाने और पीने योग्य है? अरपा नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है। माननीय मंत्री जी आप यह भी बता दीजिए कि किन-किन उद्योगों का पानी अरपा नदी में आता है?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में मेसर्स नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, गोलछा आक्साईड प्राइवेट लिमिटेड, जय दुर्गा आईल प्राइवेट लिमिटेड, ओम आईल एक्सट्रेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, शिवांगी आईल प्राइवेट लिमिटेड, बी.ई.सी. फर्टिलाईजर, सागर राईस मिल, शिवम मोटर्स आटो सेन्टर, सत्य आटोमोबाईल, जे.डी. ऑटोनेशन, ये उद्योग स्थापित हैं, लेकिन इनका पानी वहां नहीं जाता है। क्योंकि इन सारे उद्योगों में ई.टी.पी. स्थापित है और गोकना नाला में में सिरगिट्टी के पास के आवासीय क्षेत्र का दूषित जल प्रवाहित होता है, वही कुछ भाग अरपा नदी में जाता है। उद्योगों का पानी नहीं जाता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन उद्योगों का नाम गिनाये हैं, उनका पानी अरपा नहीं में नही जाता है। लेकिन किसी का पानी नहीं जाता फिर भी अरपा नदी इतनी दूषित है। उसके पानी उपयोग करने लायक नहीं है। अरपा नदी जीवनदायिनी नदी है, जिसकी परंपरायें भी हैं, प्रदूषण के कारण में वह नदी खत्म हो गयी है, उसका पूरा पानी खराब हो गया है। माननीय मंत्री जो क्या आपके विभाग के अधिकारी इस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कभी उद्योगों का निरीक्षण करने जाते हैं, उनको कुछ निर्देश देते हैं? आपने जो सिलपहरी एवं दोमुहानी में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का उल्लेख किया है, क्या आपके विभाग के अधिकारी कभी निरीक्षण करने गये हैं उन उद्योगों द्वारा वास्तव में उपचारित करके ही पानी नदी में छोड़ा जा रहा है या क्या उसके साथ कनेक्शन हो गया है? माननीय मंत्री जी आप इसको दिखवा लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ये जानकारी दी जा रही है। मैं फिर से दोबारा कहता हूं कि मात्र ऐसे 3 उद्योग हैं जो नदी के कैचमेन्ट एरिया की परिधि में आते हैं, उन 3 उद्योगों के नाम वेलकम डिस्टलरी, कनोई पेपर मिल और देवभोग मिल्क हैं। वेलकम डिस्टलरी 19.12.2019 से बंद है, कनोई पेपर मिल 2010 से बंद है, देवभोग मिल्क प्राइवेट लि. ग्राम कोनी शून्य निसारण की स्थिति है, क्योंकि यहां ई.टी.पी. स्थापित है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी उद्योग का पानी अरपा नदी में नहीं जा रहा है, फिर भी नदी इतनी प्रदूषित है कि उसका पानी नहाने और पानी के योग्य नहीं है। किसी उद्योग से पानी नहीं जा रहा है, ऐसा उत्तर आ रहा है। फिर नदी इतनी प्रदूषित कयों हैं? यदि प्रदूषित है तो उसको बचाने का कोई उपाय है तो वह भी बता दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरपा नदी में निगम क्षेत्र अंतर्गत सीवरेज का दूषित, प्रदूषित जल प्रवाहित होता है। इसके निदान हेतु सीवरेज योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मार्च 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। 17 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट ग्राम चिल्हाटी एवं 54 एम एल डी क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट दोमुहानी में संचालित है। सीवरेज परियोजना पूर्ण होने पर प्रदूषित जल की मात्रा का प्रभाव कम होगा।

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरपा नदी के ऊपर चर्चा चल रही है और बिलासपुर का अरपा नदी बिलासपुर के लिये जीवनदायिनी थी । हम उसको हाथ में खोदते थे तो 3-4 फीट में ही पानी आ जाता था । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चिल्हांटी में ट्रीटमेंट प्लांट है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है कि वाटर सप्लाई का ट्रीटमेंट प्लांट है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- वह सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह बात सच है, चाहे जो भी रिपोर्ट आये कि कम से कम 50-60 छोटे-छोटे ऐसे नाले हैं जिनका दूषित पानी वहां आ रहा है चाहे वह अमृत मिशन के काम का हो, चाहे अन्य किसी भी दूसरे जैसे निगम के काम का हो और कोई व्यक्ति जो अपना सूखा कचरा या गीला कचरा हो उसको भी वहां डंप करते हैं जिसके कारण अरपा नदी लगातार पटते जा रहा है उसके नदी का स्वरूप खराब होते जा रहा है तो मैं आज इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा कि अरपा नदी को बचाने के लिये वहां निश्चित रूप से जो कचरा डंप किया जाता है, चाहे निगम के द्वारा, चाहे अन्य व्यक्तियों के द्वारा और नालों से जो गंदा पानी आ रहा है तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिये अलग से व्यवस्था करके अरपा नदी के लिये प्रयास किया जाये ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि बिलासपुर शहर से उत्पन्न घरेलू दूषित जल का कुछ भाग नालों के माध्यम से अरपा नदी में निस्तारित होता है जिससे नदी जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है वहीं उन्होंने उत्तर में एक दूसरी बात लिखी है कि अरपा नदी में मिलने वाले 10 मुख्य नालों के सीवरेज नेटवर्क को जोड़ने की योजना तैयार की गयी है मतलब 10 नालों का गंदा पानी उस नदी में जा रहा है, घरों का दूषित जल उस नदी में जा रहा है और उसके बाद माननीय मंत्री जी लिखते हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तो क्या बिना शिकायत के भी क्या विभाग की यह जवाबदारी नहीं है कि समय-समय पर वहां का जल दूषित है कि नहीं है या उपयोग के लायक है कि नहीं है इसकी विभाग जांच कराये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने पिछले एक वर्ष के अंदर कब-कब नदी के जल की जांच करायी कि वह उपयोग के लायक है कि नहीं है इसकी जानकारी दे दें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण के विषय में नहीं है । आप जिन नालों के बारे में बात कर रहे हैं कि अरपा नदी में ग्राम मंगलाकोनी से देवरीखुर्द तक प्रवाहित...।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री शर्मा जी घुमा-घुमाकर बात करते हैं ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, इसका विषय दूषित जल है । इस ध्यानाकर्षण का विषय ही अरपा नदी का दूषित जल है और आप बोल रहे हैं कि यह विषय नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- यह जांच का विषय नहीं है । मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैं प्रक्रिया को जानता हूं । आपको बताने की जरूरत नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक मंत्री हुआ करते थे । आप लोग अरपा को अरपा नदी ही रहने दीजिये भई । यहां पर बिलासपुर वाले एक मंत्री बैठते थे, वे बोलते थे कि अरपा को थेम्स नदी बनाउंगा और खुद निपट गये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या डॉ. शिवकुमार डहरिया जी माननीय अकबर साहब को जवाब देने के लिये सक्षम नहीं मानते हैं जो अकबर साहब की जगह जवाब देने के लिये खड़े हो जाएं । आप बता दीजिये कि अकबर साहब जवाब देने में सक्षम हैं कि नहीं हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अकबर जी जवाब देने के लिये सक्षम हैं, आप पहले सुनिए तो । (व्यवधान) अकबर जी का जवाब सुनकर बेहोश हो जाओगे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बीच में टांग अड़ाने के लिये क्यों खड़े हो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न माननीय अकबर साहब से किया है लेकिन माननीय डहरिया जी खड़े हो गये यानी उनके मन में यह है कि अकबर साहब जवाब नहीं दे पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं । माननीय सदस्य ने जो जल नमूना और उसकी जांच के बारे में जानकारी चाही है तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूं । वर्ष 2019 में उक्त बिंदुओं पर एकत्रित जल नूमनों की गुणवत्ता निम्नानुसार पायी गयी । शिवमंदिर के पास पी.एच., पी.एच. यूनिट 7.7 से 8.5, छठघाट तोरा ब्रिज के पास 7.8 से 8.5, चेक डेम आउट डेट ग्राम देवरीखुर्द डाऊन स्ट्रीम में 7.8 से 8.5, अरपा नदी में लीलागर नदी मिलने के बाद ग्राम दोमिहानी टाऊन स्ट्रीम में 7.6 से 8.8 ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जांच की रिपोर्ट में 7.8 जो भी बताया । पेयजल के उपयोग के लायक जल के लिये क्या मात्रा होनी चाहिए ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया । पर्याप्त मात्रा में प्रश्न हो गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आ जाए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आपको वह अलग से बता दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अलग से बता देंगे, लिखकर दे देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि अरपा का ध्यानाकर्षण लगा है और सरकार की तरफ से जवाब आया है । अरपा हमारी अस्मिता का प्रतीक है और यह बात भी सही है कि अरपा प्रदूषित हो चुकी है । सरकारी आंकड़ों में गांव के आधार पर जो भी बातें की जाएं, ठीक है हम उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- इन्होंने 15 सालों में अरपा को ऐसा कर दिया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पेंड्रा के पास से अरपा निकलती है । पेंड्रा विधान सभा, फिर कुछ तखतपुर विधान सभा, फिर बिलासपुर विधान सभा, बेलतरा विधान सभा और अंत में मस्तुरी विधान सभा में वह शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है । यह बहुत छोटी सी नदी है लेकिन बहुत उपयोगी नदी है । उसमें अनेक बार वहां के जनप्रतिनिधियों ने आरती की है, स्वयं मुख्यमंत्री जी 7 बार आरती कर चुके हैं कि अरपा मइया तुझे प्रदूषित होने से मैं बचाउंगा । इसलिए हम चिंतित होकर पूछ रहे हैं और माननीय रविन्द्र चौबे जी ने भी वहां आरती की है और यदि नहीं की है तो वहां लोग मिले है ।

समय :
12:47 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि एक तो बिलासपुर का सीवरेज स्कीम जो कि आपके विभाग की नहीं है, वह एकदम फ्लॉप है, इनके समय का है । एकदम सफेद हाथी साबित हो रहा है, सिवाय गड्ढा खोदने, लोगों के मरने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, कहां से सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट चलेगा ? आपके जवाब में जरूर है लेकिन कोई पानी स्वच्छ नहीं हो रहा है । सीवरेज से पानी जाएगा नहीं और अमृत मिशन में पानी आएगा नहीं, बिलासपुर में यह चर्चा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसे बचाने की कोशिश में लगे हैं, आप उसमें हमारी मदद कीजिए क्योंकि सरकार में आप हैं । आप ऐसी कोई हाईपावर कमेटी गठित कर दें जो कोटा क्षेत्र के उद्गम स्थल से लेकर, वहां के विधायक से सलाह-मशविरा करके वहां के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ, तखतपुर आएं तो तखतपुर के बाद बिलासपुर, बेलतरा और मस्तुरी तक जाइए, उसको बचाना जरूरी है क्योंकि पूरे शहर का गंदा पानी उसी में जाता है और लोग उसी पानी से छठ घाट पर नहाते हैं, उसी पानी से कपड़ा धाने का काम करते हैं, उसी पानी से गांव के बच्चे नहाते हैं, अब सरकारी रिकार्ड के मुताबिक खुजली होना जरूरी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है, लेकिन बीमारी होती है कौन अस्पताल जाता है कुछ भी मरहम वगैरह लगाकर काम चला रहे हैं । यह उद्योग का न हो तो कोई बात नहीं लेकिन वहां पर हर पक्ष को देखकर आप कृपा करके यह घोषणा कर दीजिए कि उच्चाधिकारी अरपा के उद्गम से लेकर अरपा नदी जहां शिवनाथ में जाकर समाहित होती है, वहां तक 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीने में दौरा करके उस विषय में विचार-विमर्श करिये और कैसे हो सकता है उसके लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनवा दीजिए । वहां शहर का पूरा गंदा पानी जा रहा है । आपसे उम्मीद है इसलिए मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम । मैडम जोगी, आपने नाम दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको विशेष अनुमति दे रहा हूं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- धन्यवाद् अध्यक्ष महोदय । अरपा का उद्गम और मेरे पूरे क्षेत्र से वह बहती है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, यह तय हो जाए कि वह निकलती कहां से है ? अमरपुर के पास से निकलती है, वह आपके क्षेत्र में है या मरवाही क्षेत्र में है ?

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अमरपुर तो श्रीमती ज्योत्सना महंत जी का क्षेत्र है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उद्गम स्थल आपके क्षेत्र में ही है सर ।

अध्यक्ष महोदय :- उद्गम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छा काम करना है, इस पर आप कुछ कहिए और करिये ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप प्रदूषण तो जरूर रोकिये क्योंकि पूरे क्षेत्र के लोग नहाने-धोने से लेकर अंतिम क्रियाकर्म तक उस पर निर्भर हैं । उसमें वर्तमान में 5 सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं जो 8-8, 10-10 वर्षों से लंबित हैं । मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि अरपा-भैंसाझार के बारे में आप सबने सुना ही है, आमामुड़ा, सलका डायवर्सन, खोंगसरा में आमागोहन डायवर्सन, ये सब छोटी बड़ी कई योजनाएं हैं । जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उन्हें पूरा करने का निवेदन करती हूं ताकि पानी न सिर्फ मेरे क्षेत्र में भरा रहे, बल्कि बिलासपुर में भी निरन्तर शुद्ध पानी का प्रवाह रहे, धन्यवाद् ।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का प्रश्न था, उत्तर इधर से आ रहा था लेकिन आपने भाभीजी को अनुमति दी तो निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, अरपा में हमारी 2-3 बड़ी योजनाएं लंबित हैं । अब कल बजट पेश होने वाला है, सरकार की मंशा भी है । माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर गये थे तो जो चिंता आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से आदरणीय डॉ. बांधी साहब ने जो शुरूआत की कि बिलासपुर में अरपा प्रदूषित क्यों है? पानी की निरंतरता क्यों नहीं है? स्वच्छ जल कहां से आयेगा? अरपा, भैंसाझार के ऊपर और सरका डायवर्सन के ऊपर हम कितना पानी रोक पायेंगे? आपने जैसा कहा खोमसरा के ऊपर छपराटोला हमारा एक बहुत मीडियम प्रोजेक्ट आप अभी आने वाले

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिये नहीं

बजट में देखिएगा। हम इन सारी योजनाओं को लेने वाले हैं और हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में घोषणा भी की है कि बिलासपुर शहर के लिए दो बैराज हम बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रदूषण से मुक्ति भी देंगे। पानी का बहाव भी रखेंगे और आवश्यकतानुसार ऊपर से उसमें पानी लाने की व्यवस्था भी करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप किसी को देखने के लिए भेजेंगे? कोई हायर अफसर भेज दीजिए। अरपा के उद्गम से लेकर और चुनाव के आते तक एक बार चेक करवा लीजिए। यह आप सदन में बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि उद्गम स्थल पर बहुत सारे बेजा कब्जाधारियों ने अपना कब्जा बना लिया है तो आप साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखवाइए और जांच करवा लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं दिखवा लूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका इसमें क्या कहना है? हो तो गया।

श्री कवासी लखमा :- उसने तो देखा भी नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ का राज्यगीत अरपा पइरी के धार हो गया। मैं यह चीज बोल रहा हूं कि अरपा की धार चलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- जी। चलिए थैंक यू।

श्री सौरभ सिंह :- इसके साथ-साथ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अकबर भाई की बात है। जो सीवरेज प्लांट चल रहा था, जिससे अंदर वेस्ट आता है, वह सीवरेज प्लांट चल रहा है या नहीं चल रहा है और सीवरेज प्लांट नहीं चल रहा है तो चलेगा या नहीं चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- उसकी भी जांच करा लेंगे।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आपकी अनुमति से कहना चाहती हूं। वहां पर प्रदूषण के बारे में जो भी रिपोर्ट भेजी जाती है, वह सही नहीं होती है। मेरा आग्रह है कि वहां के प्रदूषण बोर्ड के जो रिजनल अधिकारी हैं, उन पर आप कड़ाई करें। जिनके द्वारा कुछ भी प्रदूषित नहीं है, यह जानकारी दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ननकी राम कंवर जी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं।

(3) बालको थाना अंतर्गत निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना।

श्री ननकी राम कंवर (रामपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

थानेदार बालको श्री लखनदेव पटेल द्वारा श्रीमती प्रमिला पटेल पति श्री संतोष पटेल के असत्य आरोप पर बिना जांच पड़ताल किये लगभग 11.00 बजे रात को 4 बच्चे क्रमश: हरबंश गोंड, अमित गोंड, राजेश राठौर एवं साहिल थापा के घर जाकर पूछताछ करने के बहाने ले गये और उनके विरूद्ध 436/34 धारा लगा कर जेल भेज दिया गया। इसके संबंध में पार्षद एवं गांव के अधिकांश लोगों ने आवेदन पत्र दिया कि बच्चे निर्दोष हैं और गांव से लगभग 2 कि.मी. पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखा था और खुद आग लगा रखा था और बाद में उसी स्थान पर टी.आई. के संरक्षण में बेजा कब्जा कर उक्त महिला मकान बना रही थी, जिसका गांव वालों ने विरोध किया और आवेदन पत्र दिये, परंतु किसी भी पुलिस अधिकारी ने जांच नहीं किया, परंतु लोगों के आवेदन पत्र को नजर अंदाज कर दिया। इसी तरह जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त के द्वारा गवाह के विरूद्ध अपराधी द्वारा असत्य रिपोर्ट करने पर थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी। इस तरह से सही काम करने वाले सभ्रांत लोगों के विरूद्ध में जान-बूझकर असत्य शिकायत दर्ज की जा रही है। इससे शासन के प्रति लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि थानेदार बालको श्री लखन लाल पटेल द्वारा श्रीमती प्रमिला पटेल के असत्य आरोप पर बिना जांच पड़ताल के कोई कार्यवाही की गई है।

वास्तविकता यह है कि दिनांक 10/12/2019 की रात्रि करीब 10.30 बजे दूरभाष से प्रार्थी अर्जुन सिंह रूमगरा निवासी ने थाना प्रभारी बालको नगर जिला कोरबा को आगजनी की सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी बालको, हमराह पुलिस बल की घटना स्थल रवाना हुए, साथ ही थाने से फायरब्रिग्रेड को घटना स्थल पहुचने की सूचना दी गई। घटना स्थल पर आगजनी के कारण जल रहे वालन को फायर बिग्रेड द्वारा बुझाया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी पुलिस बल के साथ लगभग 2.00 बजे रात्रि थाना पहुंचा एवं आगजनी की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया। उसने बताया कि वह पिकअप वाहन क्रमांक सी.जी.12 ए.जेड. 4925 का चालक है तथा वह वाहन कविता फूड प्रोडक्ट्स राताखार कम्पनी में लगी है। वह दिनांक 10.12.2019 के रात्रि करीब 8.30 बजे वाहन में चिप्स, कुरकुरे भरकर बताये स्थान जनकपुर कोरिया जाने के लिए निकला था। रास्ते में ध्यानचंद चौक के पास रूमागरा निवासी 1. हरवंश, 2. साहिल थापा, 3. राजेश राठौर, 4. अमित गोंड, वाहन को रोककर प्रार्थी अर्जुन सिंह ने जब वाद-विवाद

करने लगे तो वाहन में तोड़फोड़ न कर दें, ऐसी आशंका से वाहन तेज गति से वहां से आगे ले जाकर प्रार्थी अपने घर के पास उसे खड़ा कर दिया और खाना खाने चला गया। कुछ देर में लगभग 10.00 बजे रात्रि घर से बाहर निकलकर देखा तो आरोपीगण वाहन को आग लगाकर भाग रहे थे। इस रिपोर्ट पर थाना बालको नगर जिला कोरबा में अपराध क्रमांक- 596/2019 धारा 436, 34 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में एक स्वतन्त्र चश्मदर्शी साक्षी ने भी आरोपीगणों द्वारा अपराध घटित किये जाने की पुष्टि की। उक्त सभी आरोपियों को दिनांक 11.12.2019 को गिरफ्तार किया गया। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में चालान दिनांक 21.01.2020 को न्यायालय में पेश किया गया है।

कुछ ग्रामीणों द्वारा दिनांक 14.12.2019 को थाना बालकों में उक्त आरोपियों को झूठा आरोपित करने तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा स्वयं लाभ के उद्देश्य से वाहन में आग लगाने बाबत आवेदन दिया गया है। आवेदन की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें आवेदन में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। यह कहना गलत है कि आवेदन-पत्र को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह कहना गलत है कि पुलिस द्वारा जानबूझकर असत्य रिपोर्ट दर्ज की जा रही है या जनता में कोई असंतोष है।

पुलिस द्वारा अपराध की प्राप्त सूचनाओं पर साक्ष्य के आधार पर विवेचना विधिवत की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा किसी अभियुक्त की झूठी रिपोर्ट पर ऐसे किसी गवाह के विरूद्ध जानबूझकर एफ.आई.आर. कराई गई, जो किसी अभियुक्त के विरूद्ध गवाही दे रहा हो।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ड्रायवर है, जिसने रिपोर्ट किया है, उसका मकान और जहां गाड़ी जलने की बात कही गई है, वह कितना दूर है ? वहां कोई मकान नहीं है। आपका चालान न्यायालय में पेश है। दूसरी साइड में सिर्फ एक दुकान है। आप बतला दीजिये कि कितनी दूरी है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर गाड़ी खड़ी की गई, उससे जो अर्जुन सिंह का मकान है, वह लगभग 70 मीटर की दूरी पर है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो हो ही नहीं सकता है। मेरे पास उसका नक्शा है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये आप...।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके ही पक्ष में बोल रहा हूं। आप पूर्व गृहमंत्री है और वे वर्तमान गृहमंत्री हैं। इसलिए सब ठीक-ठाक है, बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं पहले ऐसी स्थिति नहीं आती थी। आप गलत जवाब देंगे तो मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। पूरा सदन संतुष्ट हो जाये, लेकिन पास तो दस्तावेज हैं न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो गृहमंत्री ला डाक्यमेंट ला दे दे न।

श्री ननकीराम कंवर :- तै चुप तो रह यार। तै जवाब नइ दे सकत, का बात करबे ? (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कि अकलतरा थाने से रिपोर्ट विभाग द्वारा मंगाया गया है। उसका रिपोर्ट कब आ गया, यह बता दीजिये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- कौन सा ?

श्री ननकीराम कंवर :- आपने उसके बारे में तो दूसरा पेज पढ़ा ही नहीं है। मैं जिस सम्बन्ध में पढ़ा हूं, उसका जवाब तो आपकी ओर से आया ही नहीं है। अकलतरा का दूसरा मेटर है।

समय :

1:00 बजे

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अकलतरा तो जांजगीर जिला में हवय ।

अध्यक्ष महोदय :- जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा ।

श्री ननकीराम कंवर :- अकलतरा कामा हे गा । अकलतरा कामा हे, मंत्री पद ला छोड़ दे गा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अकलतरा जांजगीर जिला में हवय । कोरबा जिला में नहीं हे, जांजगीर जिला में हे । अपन जानकारी ला दुरूस्त कर ले ।

श्री ननकीराम कंवर :- हर मंत्री की जिम्मेदारी मत लिया करिए । अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात है । आप हर मंत्री का जवाब देंगे क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप अधिकृत कर दीजिए कि सारे मंत्रियों का जवाब यही देते रहेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, उधर की जिम्मेदारी शिवरतन को दे दीजिए ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं नीचे पढ़ देता हूं । अभी मैं बतला रहा था, इसमें दो थाने की रिपोर्ट है, जिसका उल्लेख मैंने ध्यानाकर्षण में किया है । किस तरह से असत्य कथन पर थानेदार एफ.आई.आर. दर्ज करता है। मैंने दोनों का उदाहरण दिया है । एक एफ.आई.आर. को इंकार कर सकते हैं, दूसरे एफ.आई.आर. को भी इंकार कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है । जितना आप असत्य कथन करेंगे, आपका विभाग उतना सही नहीं होगा । क्योंकि आप अधिकारी को बचाना चाहेंगे । आपने कहा कि अधीक्षक के कहने से कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ है । मैं कहता हूं कि एफ.आई.आर. दर्ज हुई है । आरोपी ने, अभियुक्त ने एस.पी. को जवाब दिया, उसमें सीधा रिपोर्ट नहीं हुआ है और

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

एस.पी. के रिमार्क पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और वह अभी जांच में भी चल रहा है । आप यह बताईए कि जांच किसने किया है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विद्वान हैं, गृहमंत्री भी रहे हैं । मैंने उनके ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी है, दूसरे को भी पढ़ा है। ध्यानाकर्षण की जो विषय-वस्तु है, जिसकी जानकारी उन्होंने मांगी है । सर्पोटिंग के रूप में उनका है । इसी तरह जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक द्वारा, अर्थ लगा लीजिए, अभियुक्त के द्वारा कौन से दिन का प्रकरण, कौन से सन् का प्रकरण, कौन से थाना का प्रकरण, कौन सी घटनाक्रम की प्रकरण की जानकारी चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं है । आप देखेंगे । इसी तरह जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त के द्वारा गवाह के विरूद्ध अपराधी द्वारा असत्य रिपोर्ट करने पर थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई । इस तरह से सही काम करने वाले संभ्रांत लोगों के विरूद्ध जान-बूझकर शिकायत दर्ज करायी गई ? अध्यक्ष जी, मैं किसका जवाब दूं? न कोई घटना की तिथि, न नाम, न थाना कुछ भी नहीं है तो किसका जवाब दूं? तो इसको मैं सपोर्टिंग मानता हूं और इसलिए मैंने लिखा कि इस तरह की कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप यह बतला दीजिए कि अगर घटना असत्य है तो क्या आप उस केस का विथड्रा करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घटना के बारे में जान तो लूं, तब कहूं कि इसमें विथड्रा करूं या नहीं करूं ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने तो पूछा ही नहीं न । अगर थाना अकलतरा का पूछते तो आप निश्चित रूप से जवाब देते ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न ही नहीं है तो मैं क्या उत्तर दूं ?

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, जब मैंने आवेदन-पत्र दिया है अगर उस पर से थाने को पूछते या एस.पी. को पूछते तो जवाब जरूर आता । लेकिन आपने पूछा ही नहीं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य मुझे घटनाक्रम की जानकारी दे दें, मैं जानकारी मंगवा लूंगा और माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, उस थानेदार को तो मालूम ही होगा। यह एस.पी. को मालूम होगा कि उसके कहने पर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है, उसके रिमार्क पर एफ.आई.आर. हुआ है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घटनाक्रम की तिथि, दिनांक की जानकारी पूछ रहे हैं तो जानकारी दे दीजिये कि कौन एस.पी. है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ भी गलत होगा तो मंत्री जी कुछ भी कार्यवाही करेंगे न। तो न कोई थानेदार, न कोई एस.पी. आपकी बात को सुनने वाला नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कोई जानकारी तो दे दीजिये।, घटना की जानकारी, आदमी की, सन् की जानकारी तो दे दीजिये । मैं जानकारी मंगवा लूंगा और आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, पुलिस को संभावनाओं के आधार पर भी काम करना चाहिए, ये माननीय सदस्य कहना चाहते हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, संभावना की बात नहीं है। मैंने आवेदन दिया है कि इस केस को विथड्रा करना चाहिए । देखिए, कभी भी गवाह को उसी आरोपी के आधार पर अगर मुलजिम बनाते हैं तो कहीं कोर्ट में नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने डी.जी.पी. को आवेदन-पत्र दिया कि यह घटना गलत है या असत्य है । पहले जिस अभियुक्त के द्वारा सुपारी दी गई थी, वह गवाह है, जिस पर एस.पी. ने एफ.आई.आर. करवाया है। वह गवाह है। इसलिए मैंने डी.जी.पी. को निवेदन किया था कि आप इसको विथड्रा कीजिए । उस प्रकरण में जांच चल रहा है। वह माईनिंग का प्रकरण है। जब तक माईनिंग का पूरा पैसा नहीं पटा देगा, तब गाड़ी नहीं भेज सकता। उसने पैसा पटा दिया है । माईनिंग विभाग ने कहा भी है कि इसमें कोई केस नहीं बनता । उसमें सिर्फ लिपकीय त्रुटि हुई है कि ट्रक की जगह उसमें उसका नंबर डाल दिया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ट्रक के बदला कौन से गाड़ी डाले हे ?

श्री ननकीराम कंवर :- मैं जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- घटना कौन से तारीख के हे ?

श्री ननकीराम कंवर :- सीखना पड़ेगा ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- घटना कौन से तारीख के हे, कहां घटना होईस ? उहू ला तो बता, तब तो बनही कुछ ?

श्री ननकीराम कंवर :- थानेदार को मालूम है, एस.पी. को मालूम है, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है । इसलिए मैं बोला कि अगर गवाह के विरूद्ध में कोई मुलजिम के द्वार एफ.आई.आर. होता है तो विद्ड्रा होता है कि नहीं, यह बता
दीजिए ? चलिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं माननीय सदस्य से घटनाक्रम की दिनांक, तारीख, थाना जानकारी की ले लूंगा अध्यक्ष जी । प्रकरण मंगवा लूंगा । जो कानून में निहायती कार्यवाही होगी, जरूर करेंगे । मैं मंगवा लूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी सीनियर आदमी हैं, गंभीरता से लें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैंने कह दिया, आप उनके लिए जितना गंभीर हो और आपके लिए पूरा सदन जितना गंभीर रहता है, उससे ज्यादा गंभीर मैं हूँ ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बघेल लखेश्वर जी ।

(4) बस्तर जिले में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होना ।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बस्तर जिले के 323 से अधिक गांव व बसाहट फलोराइड से पीड़ित हैं । फलोराइड बस्तर के आदिवासियों के जीवन में जहर की तरह घुल रहा है । बस्तर जिले के 108 गांवों में लगाए गए हैण्डपम्प से फलोराइडयुक्त पानी निकल रहा है । यह तय मानक से अधिक है, इसलिए लोग फ्लोरोसिस नामक बीमारी के शिकार हो रहे हैं । विकासखण्ड बकावण्ड के ग्राम गारेंगा, जयबेल, सतोसार, चुआचुण्ड, बागराय एवं अन्य अधिकांश ग्रामों में तथा तोकापाल विकासखण्ड के गा्रम तेलगा, अरपा, बड़े अरापुर व अन्य ग्रामों में फलोराईडयुक्त, आयरनयुक्त व लाल पानी नलकूपों से निकल रहा है, जो पीने योग्य नहीं है । स्थानीय प्रशासन द्वारा फ्लोराईड की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । फ्लोराईड वाले हैण्डपम्प बन्द कर दिये गये हैं, किन्तु पानी की आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व में जो आयरन रिमूवल प्लांट लगाये गये थे, उनमें से अधिकांश खराब हो गये हैं । रिमूवल प्लांट का मेंन्टेनेन्स भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है । वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग फ्लोराईडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं । बस्तर जिले के बकावण्ड, बस्तर, बस्तानार, दरभा, लोहण्डीगुड़ा भरनपुरी विकास खण्ड के कई ग्रामीण क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हैं । दशकों से चली आ रही इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तथा फ्लोरोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए अब तक कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया है । दिनांक 26 फरवरी, 2020 तक बस्तर जिले के समस्त गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है । फ्लोराइयुक्त, आयरनयुक्त व लाल पानी व दूषित पानी पीने से यहां के लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित है तथा असामयिक मौत के मुंह में समा रहे हैं । शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से ग्रामवासियों में भारी असंतोष व्याप्त है ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (गुरू रूद्र कुमार) :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले के 323 से अधिक गांव व बसाहट फ्लोराईड से पीड़ित है । फ्लोराईड बस्तर के आदिवासियों के जीवन में जहर की तरह घुल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहा है । यह कथन तथ्यात्मक नहीं है अपितु वस्तुस्थिति यह है कि बस्तर जिले के कुल 581 ग्रामों में से 32 ग्रामों की 82 बसाहटों के 158 नलकूप फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित है । विकासखण्ड बकावण्ड के कुल 110 ग्रामों में से 11 ग्राम (31 बसाहट) विकासखण्ड बस्तर के कुल 110 ग्राम में से 14 ग्राम (41 बसाहट) विकासखण्ड बास्तानार के कुल 48 ग्रामों में से 03 ग्राम (03 बसाहट) तथा विकासखण्ड दरभा के कुल 54 ग्रामों में से 04 ग्राम (07 बसाहट) के स्त्रोत फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित है तथा विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा (80 ग्राम) जगदलपुर (107 ग्राम) व तोकापाल (72 ग्राम) में स्थापित स्त्रोत फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित नहीं है, उल्लेखित भानपुरी वस्तुत: विकासखण्ड नहीं है । यह बस्तर विकासखण्ड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है ।

बस्तर जिले के 108 ग्रामों में लगाये गये हैंडपंप से फ्लोराईडयुक्त पानी निकल रहा है। यह तय मानक से अधिक है, इसलिए लोग फ्लोरोसिस नामक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यह कथन सही नहीं है अपितु वस्तुस्थिति यह है कि फ्लोराईड आधिक्य से प्रभावित 32 ग्रामों की 82 बसाहटों के 158 फ्लोराईड प्रभावित नलकूपों में से 153 नलकूपों को कैप कर बंद कर दिया गया है व शेष 05 नलकूपों में सोलर आधारित फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापित है। फ्लोराईड प्रभावित उक्त 82 बसाहटों में 177 हैंडपंपों, 06 नल जल प्रदाय योजनाओं, 03 स्थल जल प्रदाय योजना, 06 सोलर ड्यूल पावर पंप, 05 सोलर एफ.आर.पी. एवं फ्लोराईड प्रभावित 12 ग्रामों की 28 बसाहटों में कोसारटेडा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार इन ग्रामों/बसाहटों में क्रमश: ग्राम गारेंगा, जयबेल, सतोसार, चुआचुण्ड, बागराय, तेलगा, बड़े अरापुर में शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है।

यह कथन भी मान्य योग्य नहीं है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा फ्लोराईड की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। फ्लोराईड वाले हैंडपंप बंद कर दिये गये हैं, किन्तु पानी की आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है।

विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक फ्लोराईड प्रभावित नलकूपों में 155 फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापित किये गये थे। विभाग द्वारा फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट को बंद होने के पश्चात् निकाल लिये गये हैं। चूंकि फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी, जिसके कारण फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट के मेन्टेनेंस (सुधारने) की कार्यवाही नहीं की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बस्तर द्वारा (दिनांक 15-11-2019) अवगत कराया गया है कि, बस्तर जिले में दूषित पेयजल के सेवन से विगत 05 वर्षों में किसी की भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग जिला बस्तर द्वारा बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

व सर्वे के आधार पर यह भी जानकारी दी गयी है कि केवल बस्तर एवं बकावंड विकासखंड के ग्रामों में फ्लोरोसिस से पीड़ित मरीज पाये गये हैं जिसमें बस्तर जिले में दंत फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 717, अस्थि फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 67 एवं दंत/अस्थि फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 06 पाई गई। सभी मरीज पुराने हैं एवं नये मरीजों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। प्रभावित मरीजों का शिविर में उपचार कर नि:शुल्क दवाई दी गई एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दी गई।

इसी प्रकार दिनांक 26 फरवरी, 2020 की स्थिति में बस्तर जिले के कुल 581 ग्रामों की 5092 बसाहटों में 11464 हैंडपंपों, 116 नल जल योजना, 130 स्थल जल योजना, 763 सोलर इयूल पंप, 05 नग सोलर आधारित फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट व कोसारटेडा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले की सभी बसाहटें पूर्ण रूप से आच्छादित श्रेणी में है।

अत: यह कहना सत्य नहीं है कि बस्तर जिले में स्थापित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से ग्रामवासियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- बघेल जी।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, इस विषय को जब से विधायक बना हूं, तब से उठा रहा हूं। 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 भी आ गया। लेकिन मंत्री महोदय का एक ही जवाब आता है कि किसी विषय पर कोई भी बीमार नहीं है, सब व्यवस्था की गयी है। मंत्री जी, लेकिन वास्तविकता कभी भी इतने बार उठाने के बाद 3-4 बार बस्तर जिला में दौरा हुआ। किसी भी फ्लोराईड ग्राम में जाकर देखे कि क्या स्थिति है ? पहले मैं यह पूछना चाहूंगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- अध्यक्ष जी, बस्तर मेरा प्रभार क्षेत्र भी है। प्रभारी होने के नाते कई बार वहां गया भी हूं। यहां तक कि वहां पर जो कोसारटेडा है, जिसके द्वारा 32 गांवों को पानी सप्लाई हो रही है। मैं उसका भी निरीक्षण करने गया था। निरंतर विभाग के द्वारा वहां पर निगरानी रखी जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि जब भी आप अगले दौरे पर जाएं, माननीय विधायक जी को ले जाएं और उनके द्वारा चिन्हिंत पांच गांवों का जरूर दौरा करें।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति देंगे तो इसमें मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, इतना नहीं है...।

अध्यक्ष महोदय :- बस्तर क्या करने जायेंगे ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग, जब प्रश्नकाल में हो चुका है, चाहे दौरे का प्रश्न हो, अलग-अलग जानकारी है। इसका दोषी कौन है ? मैं इस संबंध में जब प्रश्न प्रश्नकाल में उठाया उसमें आपने 145 दिया, कहीं 114 दिया, अब 155 गांवों में रिमूवल प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। अलग-अलग जानकारी है और अभी तक शासन को भी इस संबंध में अवगत नहीं कराया है। दोषी कौन है ? अधिकारी गलत जानकारी देते हैं, उस पर कोई कार्यवाही करने का क्या सरकार की तरफ से कोई योजना है ? इस संबंध में क्या प्रावधान है ? इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। आप चाहें तो मैं इसे पटल पर रखूंगा। एक समाचार पत्र एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगातार पेपर में छपा। ये उनका 23 वां, 25वां एपिसोड है। इनके द्वारा सारे पुस्तकों में दिया गया कि कोई बीमार नहीं है। मैं यह बताना चाहूंगा कि चाहे तो मैं सारे पेपर की कटिंग मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। सिंपल सा एक जवाब मिलता है कि कहीं पर कुछ नहीं है, व्यवस्था कर दी गयी है। जो रिमूवल प्लांट लगाया गया था, 3 महीने भी नहीं हुआ, 2011-12-13 में लगाई गयी, एक भी रिमूवल प्लांट पांच दिन भी नहीं चला, ना 6 दिन भी नहीं चला। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उस समय लगाये हुए रिमूवल पलांट की कीमत क्या थी ? उनके क्या नियम शर्त थी, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के हिसाब से यह जानकारी हम यहां पर उपलब्ध कराएं हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने जवाब में ही दिया था। अभी वर्तमान में कोई भी नया मरीज वहां पर नहीं है। साथ ही साथ, जैसे इन्होंने कहा कि हर बार अलग-अलग जानकारी दी जा रही है, अलग-अलग जानकारी भी नहीं दी गयी है। ईयर वाईस जो अलग-अलग जानकारी मांगते हैं, ईयर वाईस जो अलग-अलग प्लांट लगाया गया था, उसके हिसाब से इनको जानकारी दी गयी है। जो जानकारी दी गयी है, वह मैं उपलब्ध करा रहा हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- प्लांट कब-कब लगाये थे ? आप यह जानकारी मेरे को दे दीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- इन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं, जानकारी दे दीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं बता रहा हूं, आपका ही जवाब दे रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके..।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मूल प्रश्नकर्ता पहले आप कर लें, फिर बाद में पूछिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आप बोलेंगे, तो पूछ लूंगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- कब-कब लगाये थे ? आप मेरे को उसकी जानकारी दे दीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- 2011-12 में 23 नग लगाया गया था। 2012-13 में 68 नग लगाया गया था। 2013-14 में 07 नग लगाया गया था। 2014-15 में 57 नग लगाया गया था। ये आपने अभी कुछ दिनों पहले प्रश्न भी लगाया था तो प्रश्न में आलरेडी मैं आपको जवाब दे चुका हूं।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Monday, March 02, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं-नहीं, आपकी जो दी हुई जानकारी है, वह मेरे पास है। पिछले सत्र के शीतकालीन सत्र में जो लगाये थे, उस समय रिमूवल प्लांट का 145 जानकारी दी है। 2019 के बाद कब लगाये, यह बता दीजिए ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, ।

श्री बघेल लखेश्वर :- मैं दर भी पूछा हूं ना कि कितने लागत की है ? वह भी बता दीजिए। किस-किस लागत की है ? ईयर वाईस भी बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास यदि जानकारी नहीं है तो आप उनको पूरा उपलब्ध करा दीजिएगा। फिर से जांच कर लीजिए, क्योंकि...।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं, जानकारी वाली बात नहीं है। इसमें पेयजल का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना।

श्री बघेल लखेश्वर :- आदिवासियों का मामला है। इसमें सरकार गंभीर नहीं है। ना ही प्रशासन गंभीर है। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और लोग इसी तरह बीमार होते रहेंगे, कोई सरकार उसके तह तक पहुंच नहीं पायेगी, जानकारी का क्या मतलब है ? व्यवस्था बनाने के लिये हम लोग प्रश्न उठाते हैं। अगर सदन में उठायेंगे तो व्यवस्था बनेगी और सुधरेगी, लेकिन उलझती जा रही है, एक भी व्यवस्था 5,6 सालों में नहीं बना पाई है तो प्रश्न उठाने का क्या मतलब है ? ऐसे में अब कोई प्रश्न नहीं उठायेंगे।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं बोल लूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- बोलो।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- 155 एफ.आर.पी. की कुल लागत 502 लाख रूपये है। साथ ही साथ सरकार की मंशा आदिवासी समाज, हर समाज को, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं करके बिल्कुल है। आप जो फिल्टर प्लांट की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में हमारे विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा यह योजना जो बनाई जा रही है, कल बजट पेश होने वाला है, आपको उसमें कई सारी चीजें पता चल जाएगी। प्रत्येक घर में पाईप लाईन बिछाकर हम घर के अंदर नल कनेक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- कब तक ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- भाई साहब, कल बजट पेश करेंगे तो पता चलेगा ना।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन भी है कि ये एक गंभीर समस्या है। कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी हमारे क्षेत्र में फ्लोराईडयुक्त पानी की समस्या है। उनकी स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ते जा रही है। उस क्षेत्र की बेटी-बहनों से कोई शादी करना नहीं चाहते हैं, गांव वालों का भी ऐसा स्टेटमेंट

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। बस्तर जिले में बड़ी गंभीर स्थिति बनी है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर एक समिति विधान सभा की ओर से गठित कर दी जाये और विस्तृत जानकारी ली जाये और अन्य प्रदेशों, कई प्रदेशों में इस प्रकार की बीमारियां हैं, वहां इस समस्या के निदान तथा भ्रमण की भी ऐसी योजना बनायी जाये, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप मुझे पूरी जानकारी लिखकर दीजिए, मैं उसमें कार्यवाही करूंगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और ये कोई राजनीतिक चश्में से देखकर कोई नहीं किया गया है। इस सदन में इसके पहले भी फ्लोराईडयुक्त पानी से होने वाली बिमारियों, रोकथाम और पानी की व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के ही जवाब में बस्तर जिले के 323 से अधिक गांव व बसाहट फ्लोराईड से पीड़ित है। आपके ही बस्तर जिले के 108 ग्रामों में लगाये गये हैण्डपंप से फ्लोराईड युक्त पानी निकल रहा है। आपने ही कहा है कि फ्लोराईड वाले हैण्डपम्प बंद कर दिये गये हैं, किन्तु पानी की आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये आपका ही जवाब है। आपने ही जवाब दिया है कि चूंकि फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी, जिसके कारण फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट के मेन्टेनेन्स (सुधारने) की कार्यवाही नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही ये कहा है कि बस्तर जिले में दन्त फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 717, अस्थि फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 67 एवं दंत/अस्थि फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की संख्या 06 पायी गई। इसका मतलब आप 800 बीमार लोगों की पुष्टि कर रहे हैं । मरने के बारे में आप बोल रहे हैं कि आपका जो स्वास्थ्य शिविर (कैम्प) लगता है, उसमें जानकारी नहीं आयी है। साहब, जब शहर बिलासपुर और रायपुर में ठीक से जानकारी नहीं आती कि कौन, क्यों मरा? तो वह तो बस्तर है वहां कहां से जानकारी आएगी। मैं इस समस्या के निराकरण के लिए जो की बस्तर अंचल की बहुत बड़ी समस्या है, इस बीमारी को लोग चुपचाप सह रहे हैं। मैं इसके निराकरण के लिए चाहता हूँ कि आप सदन की एक उच्च स्तरीय समिति बना दीजिए और वह समिति वहां अध्ययन करके जांच भी कर ले और आपको रिपोर्ट भी दे दे। अगर सदन की समिति में आपको तकलीफ है तो आप अपने अफसरों की एक हाई पॉवर कमेटी बनाकर, उन्हें एक टाईम बाउण्ड देकर भेज दीजिए ताकि वे एक प्रोजेक्ट भी बना दें, हल निकाल लें और सही स्थिति क्या है, वह आपसे बता दें तो मैं चाहता हूँ कि आप सदन की समिति की घोषणा कर दीजिये। बस्तर का मामला है और ये बहुत गंभीर मामला है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय धर्मजीत भईया, ये जो मैंने जो जवाब दिया है उसमें पुरानी सी.एम.एच.ओ. की रिपोर्ट है, जो मैंने दिया है। आप मेरे जवाब को पूरा पढेंगे तो आज की तारीख में मरीज उतने नहीं है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से स्वास्थ्य शिविर जो लगते हैं, कोई नये मरीज नहीं पाये गये हैं। साथ ही साथ अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सरकार को पूरी चिंता है। हम सिर्फ इस फिल्टर प्लांट के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। हम पाईप लाईन का विस्तार करके, घर में नल कनेक्शन देकर, सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायेंगे। ये वर्ष 2024 तक पूरे प्रदेश में हमको करना है तो हम इसे वर्ष 2024 तक पूरा करेंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंहावा विधान सभा क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वहां जल्दी से जल्दी नल जल सुविधाएं देने की कृपा करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 73 वर्षों बाद भी अगर हम जनता को शुद्ध पानी न दे पायें तो यह हम सब के लिए चिंता होनी चाहिए, पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए। बस्तर में 323 गांव और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 गांव से अधिक में फ्लोराईड युक्त पानी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या स्थायी समाधान के लिए कोई कार्ययोजना है? हमारे पास डी.एम.एफ. मद का पैसा है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्माननीय लखेश्वर बघेल साहब भी हैं। हम विभाग को पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर विभाग लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पाता तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपके ही उत्तर में 323 ग्रामों में फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की जगह, 155 में लगा है। ये फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट कितने दिनों तक शुद्ध पानी देता है क्योंकि आपने बताया कि यह वर्ष 2012 से लगे हैं। आप उसका उत्तर दे दीजिए और विभाग स्थायी समाधान के लिए क्या कार्ययोजना बना रहा है ? क्योंकि माननीय विधायक जी, मैं भी पिछली सरकार में सदन में लगातार इस बात को उठाता रहा हूँ। क्या वर्तमान सरकार उन क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान और शुद्ध पानी की व्यवस्था करेगी ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ आपके जिले का प्रभारी मंत्री भी हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। मैंने जो थोड़ी देर पहले वर्ष का उल्लेख किया, अभी जो-जो कार्ययोजना है, जब मैं बजट पेश करूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसको मैं आज कैसे बताऊं। जब मैं अपने विभाग का बजट पेश करूंगा तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी, अपनी शून्यकाल की सूचना पढ़िये।

श्री बघेल लखेश्वर :- वर्तमान में उन ग्रामों में शुद्ध पेयजल देने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अतिरिक्त बोर किये गये हैं, जिसके कारण वहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

श्री बघेल लखेश्वर :- कोई बोर नहीं किये गये हैं। मंत्री जी अधिकारियों की भाषा नहीं बोलिये। हम लोग जानते हैं, उस क्षेत्र में मैं रहता हूं। उस जगह में जाता हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, अगली बार जब मैं उस क्षेत्र में दौरे में जाऊंगा तो आपको साथ में ले जाऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं शून्यकाल की सूचना पहली बार ले रहा हूं, वह गंभीर नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं इसलिए मैं कराऊंगा। यह आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, वह गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या इसकी सदन की समिति से जांच करायेंगे ? आपकी पार्टी का विधायक चुनौतीपूर्वक बोल रहा है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- हॉ, मुझे पता है, हमारी पार्टी के विधायक हैं। मैं कहां इंकार कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप सदन की समिति से जांच करायेंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैंने तो बोला, जैसे अध्यक्ष जी ने थोड़ी देर पहले कहा, मैं जब भी वहां पर अगली बार दौरे में जाऊंगा तो मैं उनको साथ में लेकर जाऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैं जांच कराने की बात बोल रहा हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- उसकी आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- साथ में ले जायेंगे और कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच भी करायेंगे। श्री नारायण चंदेल जी।

समय :
1:26 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) जांजगीर चांपा जिले में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर हितग्राहियों की भूमि का मुआवजा दिये बिना सड़क निर्माण किया जाना।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश के जांजगीर-चांपा जिले में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 फेस-2 बनारी से मसनियाकला सड़क निर्माण हेतु नगर पंचायत नया बाराद्वार सीमा अंतर्गत छूटे हुए नंबरों का भू-अर्जन किये जाने हेतु 12 जनवरी 2018 को राजपत्र अधिसूचना 3-ए का प्रकाशन किया गया था। जिस पर बिना मुआवजा प्रदान किए भूमिस्वामी की भूमि पर बने मकानों को तोड़कर सड़क निर्माण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्य कर दिया गया है एवं प्रकाशित सूचना को निरस्त कर दिया गया है। उक्त प्रभावित भू-स्वामियों की भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है एवं जिसके संबंध में भू-स्वामियों को पूर्व में अर्जन संबंधी दस्तावेज राजपत्र प्रकाशन, एवार्ड कापी एवं लैंड प्लान की कापी भू-स्वामियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है एवं हितग्राहियों की भूमि पर बिना मुआवजा दिये सड़क निर्माण किया जा चुका है। जिसकी शिकायत भू-स्वामियों (हितग्राहियों) ने शासन व प्रशासन तथा विभाग के उच्च अधिकारियों से अनेकों बार की है, लेकिन इस पर अब तक शासन व प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित नहीं किया जाना।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :- जिला जांजगीर-चापा के विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बजट वर्ष 2014-15 में बेलादुला से कलमीडीह एवं छितापड़रिया से खम्हरिया सड़क को शामिल किया गया है। बजट में शामिल हुये लगभग 6 वर्ष हो गया है। बेलादुला से कलमीडीह सड़क लंबाई 2.20 किलोमीटर प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2015, 529.41 लाख अनुबंध क्रमांक 4/डीएल/16-17 तकनीकी स्वीकृति राशि 436.49 लाख अनुबंध की राशि 283.15 लाख 35.13 प्रतिशत बिलो पर टेंडर दिये हैं। समय अवधि 12 माह (24.4.2017) कार्यादेश की तिथि 26.04.2016 है। छितापड़रिया से खम्हरिया सड़क की लंबाई 2.00 किलोमीटर प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30.10.2015 राशि 348.11 कार्यादेश स्वीकृति दिनांक 18.04.2016 इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सक्ती के द्वारा दिनांक 21.08.2017 को भू-अर्जन नहीं होने के कारण टेंडर जारी नहीं किया गया है। जिसके कारण का निर्माण नहीं हुआ है और इसमें बेलादुला से कलमीडीह का एक बार टेंडर भी जारी हो चुका है एवं ठेकेदार द्वारा अनुबंध कर कार्य भी प्रारंभ कर दी गई थी। भू-अर्जन का प्रकरण का निपटारा भी नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण ग्रामवासी एवं किसान परेशान हैं। सड़क का निर्माण नहीं होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जिला प्रशासन को पत्राचार किया जा चुका है। उसके बावजूद भी इन दोनों सड़कों का मुआवजा लंबित है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोग एवं ग्राम बेलादुला, कलमीडीह, छितापड़रिया एवं खम्हरिया के लोग काफी परेशान हैं।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नियम 267-क के अंतर्गत विषय (क्रमश:)

(3) किसानों की कृषि जमीन को धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री किये जाने के संबंध में ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है - राजनांदगांव जिले में किसानों वह निरक्षर लोगों के जमीनों की फर्जीतरीके से धोखाधड़ी व षड़यंत्रपूर्वक रजिस्ट्री कर अवैध प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है । जिले में हो रहे इस प्रकार के जमीनी रजिस्ट्री के संबंध में कई शिकायतें राजस्व विभाग को प्राप्त हुए राजनांदगांव के नंदई वॉर्ड नंबर 42 निवासी श्रीमती खूबा बाई सोनकर पिता गुलाब सोनकर की पटवारी हल्का नंबर 24 खसरा नं. 211/1,/211/2 एवं 219/1 कुल रकबा 3.40 एकड़ को श्रीमती अभिलाषा खंडेलवाल, मनीष कुमार सहिता, जय प्रकाश शर्मा, अनिल कुमार जवरानी, प्रवीण झलके, श्रीमति शिल्पा जैन, श्रीमति नीलू अग्रवाल, लोकेश कुमार मालेकार, लोकनाथ सोनकर श्रीमती लीना सोनकर, रेवतीरमन दास राकेश कुमार लेखवानी, संजय कुमार द्वारा षड़यंत्रपूर्वक उक्त रकबा का रजिस्ट्री किया है । खसरा क्रमांक 219/1 रकबा 0.41 एकड़ को राकेश लेखवानी आ. श्यामसुंदर लेखवानी निवासी सिंधी कालोनी राजनांदगांव द्वारा 50.50 लाख में धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री करवाया है और रजिस्ट्रीपत्र में उल्लेखित समस्त 13 चेक बाउंस हो गये, रजिस्ट्री पत्र में उल्लेखित चेक दिनांक का मिलान नहीं होने के बाद भी रजिस्ट्रार द्वारा मिलीभगत कर रजिस्ट्री कर दी गई । उक्ताशय की जांच के संबंध में दिनांक 21.05.2019 को मेरे द्वारा कलेक्टर राजनांदगांव को पत्र प्रेषित किया गया जिसके जांच प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ खानापूर्ति कर जांच प्रतिवेदन बनाकर उक्त मामले में असंवेदनशीलता दिखायी है । जांच प्रतिवेदन में दोषियों के चेक बाउंस परिलक्षित होने और फर्जीवाड़ा नजर आने के बाद भी आजपर्यन्त उनके खिलाफ किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण और न ही एफ.आई.आर. की कोई कार्यवाही की गई है, जिसके चलते ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को हिम्मत मिल रही है। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले के कृषक स्व. बृजलाल घनकर आयु 70 वर्ष निवास ग्राम बापूटोला, पो.चिचोला तह. छुरिया की कृषि भूमि रकबा 13 एकड़ को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर नामांतरण किया गया है । जिले के किसानों की कृषि जमीन को धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री किये जाने को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाना उचित होगा ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

(4) महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर से व्यापार विहार वाली सड़क का निर्माण कार्य बहुत धीमा होने के संबंध में ।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय बिलासपुर महाराणा प्रताप चौक से व्यापार विहार वाली सड़क का निर्माण कार्य बहुत धीमा होने के संबंध में है - महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर से व्यापार विहार वाली सड़क शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क का निर्माण स्मार्ट सड़क के रूप में किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही धीमा होने के कारण बिलासपुर की जनता को तय समय सीमा में इसका लाभ मिलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है । इस सड़क से होकर बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े थोक केंद्र के लिये जाया जाता है, यहां रोजाना सैकड़ों मालवाहक गाड़ियों का आना-जाना लगा रहा है । रोजाना अत्याधिक जाम की स्थिति लगी रहती है । इस मार्ग के अगल-बगल रहने वाले लोगों की धूल और प्रदूषण से जीना अत्यंत मुश्किल हो गया है । ठेकेदार की सतत् लापरवाही से समस्या बढ़ते ही जा रही है ।

(5) प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों के उपयोग पर रोक लगाये जाने ठोस पहल करने के संबंध में ।

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों के उपयोग पर रोक लगाये जाने ठोस पहल करने के संबंध में है - राज्य शासन के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे प्लास्टिक थैली व डिस्पोजल, बॉटल इत्यादि के उपयोग में पूर्णतः प्रतिबंध लगा तो दिया है लेकिन आज भी खुले बाजार में यह सामग्रियां बेरोकटोक धड़ल्ले से उपयोग में लाई जा रही है । समय-समय पर विभागों के द्वारा कार्यवाहियां की तो जाती है लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है । सरकार के द्वारा इस ओर ठोस पहल अथवा कड़ी कार्यवाही होना तनिक भी नहीं दिख रहा है । आज भी 60 से 70 प्रतिशत कूड़ा-करकट इन्हीं प्लास्टिक का निकल रहा है । यदि सरकार तत्काल ही इस ओर गंभीर नहीं हुआ तो भविष्य में इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे । राज्य सरकार गंभीर होकर प्लास्टिक सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 03 मार्च 2020 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

(1 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2020 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 02 मार्च, 2020 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं